रजिस्ट्री सं० डी-111 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 24, 1973 (फलगुन 5, 1894)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 24, 1973 (PHALGUNA 5, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 जनवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th January 1973 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4
	सं० 3—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	विदेश व्यापार मंत्रालय	28-3-1972 से 27-3-1973 की अवधि के दौरान बंगला देश के साथ व्यापार।
1.	No. 3-IT.C. (P.N.)/73 dt. 1st Jan. 1973	Min. of F. Trade	Trade with Bangla Desh during the period from 28th March 1972 to 27th March, 1973.
	सं० 1—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	तदैव	अप्रैल, 1972–मार्च 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 41)
2.	No. I-ITC (P.N)/73, dt. 1st Jan., 1973.	Do.	Import Policy for registered Exporters for the year April, 1972—March, 1973 (Amendment No. 41).
	सं० 2—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	तदैव	अप्रैल 1972–मार्च 1973 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन सं० 42)।
	No. 2-I.T.C. (P.N.)/73, dt. 1st Jan., 1973.	Do.	Import Policy for Registered Exporters for the year April' 72—March 1973 (Amendment No. 42).
	सं० 2—ई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	तदैव	विभिन्न प्रकार, श्रेणी और कोटि के अभ्रक के न्यूनतम मूल्य में वृद्धि।
3.	No. 2-E.T.C. (P.N.)/73, dt. 1st Jan., 1973.	Do.	Increase of floor prices of various varieties, grades and qualities of Mica.
	सं० 1—ई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	तदैव	1-1-73 से 30-9-73 के दौरान पहनावों तथा तैयार माल सहित सूती धागों और मिल निर्मित सूती वस्त्रों का यू० के० को निर्यात के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।
4.	No. I-E.T.C. (P.N.)/73, dt. 1st Jan., 1973.	Do.	Scheme for licensing of cotton yarn and cotton mill-made textiles including garments and made-ups for export to U. K. during the period from 1-1-1973 to 30-9-1973.

1	2	3	4
	सं० 12 (2)—टैरिफ/72, दिनांक 1 जनवरी, 1973।	विदेश व्यापार मंत्रालय	विदेश व्यापार मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाएं रद्द किया जाए :— (i) सं० 12 (2)—टैरिफ/72-I, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972। (ii) सं० 12 (2)—टैरिफ-II, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972 तथा (iii) सं० 12 (2)—टैरिफ/72-III, दिनांक 4 दिसम्बर, 1972।
5.	No. 12 (2)—Tar/72, dt. 1st Jan., 1973.	Min. of F. Trade	Cancellation of the following notifications in the Min. of Foreign Trade : (i) No. 12 (2)—Tar/72-I, dt. 4-12-1972 (ii) No. 12/(2)—Tar/72-II dt. 4-12-1972, and (iii) No. 12(2) Tar/72 III at 4.12.72
	सं० 37/1/7/73/I, दिनांक 3 जनवरी, 1973।	लोक सभा सचिवालय।	राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिनांक 2 जनवरी 1973 जो लोक-सभा को सोमवार, 19 फरवरी, 1973 को 11 बजे म० पू०, नई दिल्ली में अधिवेशन के लिए आमन्त्रित करता है।
6.	No. 37/1/VII/73/I, dt. 3rd Jan., 1973.	Lok Sabha Secretariat.	Order by the President dated the 2nd, Jan., 1973, for summoning the Lok Sabha to meet at New Delhi on Monday the 19th Feb., 1973 at 11 A.M.
	सं० आर० एस० 1/1/73- एल० दिनांक 3 जनवरी, 1973।	राज्य-सभा सचिवालय	राष्ट्रपति द्वारा आदेश, दिनांक 3 जनवरी, 1973 जो राज्य सभा को सोमवार, 19 फरवरी, 1973 को म० पू० 11 बजे नई दिल्ली में समवेत होने के लिए आमन्त्रित करता है।
7.	No. R.S. I/I/73-L. dt. 3-1-1973.	Rajya Sabha Sectt.	Order by the President dated the 3rd Jan., 1973 for summoning the Rajya Sabha to meet at 11 A.M. on Monday the 19th Feb., 1973 at New Delhi.
	सं० ए० 11013/ई०/122/72—प्रशा-IV, दिनांक 9 जनवरी, 1973	वित्त मंत्रालय	एक समिति की नियुक्ति जो वर्तमान तम्बाकू उत्पादन, शुल्क टैरिफ के सभी पहलुओं की, एक विवेकपूर्ण तथा युक्तिसंगत टैरिफ संरचना बनाने एवं सरलीकृत व्यावहारिक कार्यविधियों के जरिये इस टैरिफ का प्रभावी तौर पर, दक्षता पूर्ण और मितव्ययता के साथ प्रशासन करने की दृष्टि से जांच करेगी।
8.	No. A. 11013/E./122/72-Ad. IV, dt 9th Jan., 73	Min. of Finance.	Appointing a committee to examine the present Tobacco Excise Tariff with a view to having a judicious rational tariff structure and administering this tariff effectively, efficiently and economically through simplified practical procedures.
	सं० 3—ई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 12 जनवरी, 1973।	विदेश व्यापार मंत्रालय	ई० आई० कमाई हुई तथा गीली नीली खालें और चमड़े तथा पपड़ीदार चमड़े सहित अर्धसंसाधित खालें तथा चमड़ों का निर्यात।
9.	No. 3/E.T.C. (P.N.)/73, dt. 12th Jan., 1973.	Min. of F. Trade	Export of Semi-processed hides and skins including E.I. tanned and wet blue hides and skins and crust leather.
	सं० 4—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 15 जनवरी, 1973।	तदैव	1971-1972 अवधि के दौरान भारत-अफगान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत प्रभावी किए गए आयातों-निर्यातों का हस्तान्तरण।
10.	No. 4-I.T.C. (P.N.)/73, dt. 15th Jan. 1973.	Do.	Transfer of imports/exports effected under Indo-Afghan Trade Arrangement period 1971-72.
	सं० 5—आई० टी० सी० (पी० एन०)/73, दिनांक 15 जनवरी, 1973।	तदव	विदेशी भागीदारों द्वारा आयातित माल की तृतीय एशियाई विश्व व्यापार मेला, 1972 नई दिल्ली में बिक्री।
11.	No. 5 .I.T.C. (P.N.)/73 dt. 15 Jan. 1973.	Do.	Sale of goods imported by Foreign participants in the Third Asian International Trade Fair, 1972, New Delhi.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली का नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	215
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	283
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	5
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	233
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	339
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	709
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	53
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	257
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	65
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	13
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	405
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	33
पूरक संख्या 8—	
17 फरवरी, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	257
27 जनवरी 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	267

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	215
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	283
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	233
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	339
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	709
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	53
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	257
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	6
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	13
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	405
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	33
SUPPLEMENT NO. 8	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 17th February 1973	57
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 27th January 1973	

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिसर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1973

सं० ए० 11019(3)/72-प्रशा० III (वि० का०)—आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 255 की उप-धारा (3) के अनुसरण में और भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग की अधिसूचना सं० ए० 11019(3)/72-प्रशा० III (वि० का०) तारीख 9 जनवरी, 1973 के क्रम में, केन्द्रीय सरकार श्री वी० बालसुब्रह्मण्यन्, लेखा सदस्य, आय-कर अपील अधिकरण को उक्त उप-धारा के प्रयोजनों के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है।

पी० बी० वेंकटसुब्रह्मण्यन्, संयुक्त सचिव
और विधि सलाहकार

(औद्योगिक विकास विभाग)

खादी तथा ग्रामोद्योग समिति की रिपोर्ट

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० 5 (18)/72-के० वी० आई० (1)—संकल्प संख्या 19/6/66-के० वी० आई० (पी०), दिनांक 8 जून, 1966 के द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय ने श्री अशोक महता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । जिसके विचारार्थ विषय निम्न प्रकार से थे :—

(1) "1953 में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना से अब तक खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा की गई प्रगति की आंकना और देश में खादी तथा ग्रामोद्योगों को सुदृढ़ करने और इनकी प्रगति में वृद्धि करने के बारे में सिफारिश करना; और

(2) किन्हीं भी संरचनात्मक और वैधानिक परिवर्तनों के बारे में सुझाव देना जिनकी कार्यक्रमों के कार्यकरण के संबंध में अबतक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर और चौथी योजनावधि में परियोजित कार्यक्रमों के प्रसंग में एक ओर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा दूसरी ओर राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए आवश्यकता हो।"

उपर्युक्त दूसरा विचारार्थ विषय का वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 19/6/66-के० वी० आई० (पी०), दिनांक 12 अगस्त, 1966 द्वारा प्रवर्धन किया गया और निम्नलिखित विषय उसके स्थान पर रखा गया था :—

(2) "किन्हीं भी संरचनात्मक और वैधानिक परिवर्तनों के बारे में सुझाव देना जिनकी कार्यक्रमों के कार्यों के संबंध में अब तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर और चौथी योजनावधि में परियोजित कार्य-क्रमों के प्रसंग में एक ओर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग तथा दूसरी ओर राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों, सहकारी समितियों और अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय में सुधार करने के लिए आवश्यकता हो ।"

(2) समिति ने फरवरी, 1968 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों और खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के परामर्श से सरकार ने सावधानी पूर्वक विचार किया है ।

(3) समिति की विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय इस संकल्प के अनुबंध में दिए गए हैं, सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों के कार्यान्वयन से खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास की गति तेज होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों की आमदनी में वृद्धि होगी और इनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाए और आम सूचनार्थ इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

आबिद हुसैन, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

खादी और ग्रामोद्योग समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश तथा उनपर सरकार का निर्णय

क्रमांक (1)	सिफारिश (2)	सरकार का निर्णय (3)
1.	खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम का आधारभूत दृष्टिकोण विकासाभिमुख होना चाहिये तथा देश की रोजगार सम्बन्धी सर्वसाधारण परिस्थिति एवं आर्थिक विकास की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए । खादी सहित प्रत्येक	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)
	परम्परागत उद्योग की तकनीकों में प्रगामी विकास करने की दृष्टि से एक सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए, ताकि उन उद्योगों को वर्धनक्षम जीव्य स्तर पर पहुंचाया जा सके। संक्रमणावस्था में होने वाले पर्याप्त विस्थापन से बचाव के लिए परंपरागत उद्योगों के कारीगरों को संरक्षण अवश्य प्राप्त होना चाहिए, ताकि तकनालाजी लागू करने के कारण होनेवाली बेरोजगारी में अपेक्षाकृत हलके दर्जे की तकनीक का प्रयोग होता हो उसमें जाने के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं तथा अन्य प्रकार की सहायता के द्वारा अधिक लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि छोटे नगरों एवं देहातों में विकेन्द्रित उद्योगों की संरचना खड़ी करने हेतु आवश्यक है कि समाज आर्थिक ऊपरी खर्चे तथा आवश्यक सहूलियतें जिनमें परिवहन की कुशल पद्धति, जल तथा विद्युत्-पूर्ति, ऋण, तकनीकी प्रशिक्षण तथा परामर्श आदि सम्मिलित हैं, उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया जाए। विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में तथा सूखा और बाढ़ जैसी असाधारण कठिनाइयों वाली स्थितियों में उच्च तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया इसी तरह आयोजित होनी चाहिए, जिससे वर्तमान परंपरागत उद्योगों में लगे कारीगरों को कुछ लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त होता रहे। (पै० 2.13)।	
2.	खादी कार्यक्रम का प्रयोजन तथा आधारभूत दृष्टिकोण मोटे रूप से तीन उद्देश्यों के रूप में होना चाहिए तथा प्रत्येक पर सापेक्ष्य रूप से बल दिया जाना चाहिए; यथा (1) बिक्री योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य, (2) रोजगार की व्यवस्था करने का सामाजिक उद्देश्य, (3) जनता में आत्मनिर्भरता लाने तथा ग्रामसमाज की सशक्त भावना निर्माण करने का व्यापक उद्देश्य। इन तीन उद्देश्यों की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती भविष्य में खादी कार्यक्रम का विस्तार इस प्रकार किया जाना चाहिए कि प्रबन्ध उपदान के रूप में अथवा निर्मूल्य बुनाई सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष राजसहायता यथा संभव न्यूनतम की जा सके। इस कार्य के लिए कताई-बुनाई में उत्तम तकनीकें लागू करनी होंगी तथा संगठन के उपरिव्ययों में भी कमी करनी होगी। (पै० 2.14, 2.15)	सिद्धान्त रूप से स्वीकार की गई; किन्तु क्रियान्वयन एक प्रावस्थाबद्ध रूप में किया जायेगा।
3.	खादी कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि व्यापक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था सतत चलती रहे। ग्रामीण क्षेत्रों का निम्नतर जीवनस्तर, वर्तमान व्यापक अर्ध-रोजगारी तथा ग्राम-परिवारों के लिए सहायक आय के स्रोत की आवश्यकता एक ऐसी अनिवार्यता खड़ी कर देती है कि जिससे खादी कार्यक्रम का एक उचित स्तर पर सतत चालू रखना जरूरी हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने वाले अन्य साधनों का इस बीच पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। (पै० 2.16)	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)
4.	खादी कार्यक्रम में रोजगार प्रदान करना ही उद्देश्य नहीं माना जाना चाहिए। यह ग्रामीण परिवारों में आय बढ़ाने का एक साधन होना चाहिए। अतएव, खादी कार्यक्रम अधिक जरूरतमंद परिवारों को, विशेषकर कृषि मजदूरों तथा गरीब किरायेदारों को सहायक रोजगार की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम द्वारा दी जाने वाली औसत दैनिक मजदूरी भी इतनी होनी चाहिए जिससे जरूरतमंद व्यक्ति कताई-बुनाई का काम स्वीकार करने की ओर आकर्षित हो सकें। (पै० 2.16)	स्वीकृत
5.	खादी के वर्तमान कार्यक्रम में जिसके अन्तर्गत वर्ष 1965-66 में लगभग 76 लाख मीटर (सूती खादी) का उत्पादन हुआ है, पूरक रोजगार देने सम्बन्धी सामाजिक उद्देश्य तथा जनता में आत्मनिर्भरता निर्माण करके एक सशक्त ग्राम समाज भावना उत्पन्न करने सम्बन्धी व्यापक उद्देश्य पर जोर देने वाला वर्तमान दृष्टिकोण सतत कायम रखना चाहिए। इसके अन्तर्गत राजसहायता की व्यवस्था चालू होगी। फिर भी, कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संगठनात्मक तथा अन्य सुधार करके सरकार पर पड़ने वाले कुल अर्थभार में कमी की जानी चाहिए। (पै० 2.19)	सिद्धान्त रूप से स्वीकृत।
6.	व्यक्तिगत स्वावलम्बी उत्पादन का वर्तमान अनुपात चूंकि कुल खादी उत्पादन में मात्र चार प्रतिशत है, इसे एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम द्वारा बढ़ाया जाना चाहिए। (पै० 2.19)	वर्तमान रुख से ज्ञात नहीं होता कि इन उपलब्धियों/लक्ष्यों की तुरन्त प्राप्ति होने की संभावना है।
7.	नये खादी-कार्यक्रम अर्थात् खादी-उत्पादन के अधिक विस्तार के सम्बन्ध में आधारभूत दृष्टिकोण एवं प्रयोजन पर पृथक-पृथक (क) अंबर सहित परंपरागत खादी तथा (ख) नये माडल चरखे की खादी, की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। परंपरागत खादी के सम्बन्ध में दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि भावी समस्त उत्पादन आत्म निर्भरता के आधार पर हो। नये माडल चरखे की खादी के उत्पादन के सम्बन्ध में दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि व्यापारिक आधार पर उसका विकास हो। इसमें राजसहायता विशेषकर उपदान के रूप में बहुत कम होनी चाहिए। (पै० 2.20, 2.21, 2.22)	स्वीकृत।
8.	ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किये जाने वाले खादी कार्यक्रम के सम्बन्ध में उचित होगा कि विशेष महत्व के उद्योगों पर ही साधन-स्रोत एवं प्रयास केन्द्रित किये जाएं। उन उद्योगों में बहुसंख्यक कारीगरों का समावेश किया जाये और उनका क्षेत्र अधिक व्यापक किया जाये। तकनालाजी के सुधार लागू करने तथा विद्युत् के उपयोग करने के मुक्त अवसर उपलब्ध होने चाहिये। (पै० 2.23)	स्वीकृत।
9.	खादी ग्रामीण उद्योगों में से एक उद्योग के रूप में खादी का मान्यता-प्राप्त स्थान जारी रहेगा और यद्यपि कुछ क्षेत्रों में ग्रामीण उद्योगों में उसका स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, तथापि वैज्ञानिक खेती के विकास तथा ग्रामीण बिजली-करण की प्रगति के कारण यह संभव है कि कृषि-संबंधी चीजों के प्रशोधन तथा कृषि में लगनेवाली चीजों के निर्माण के समान	निर्माण अस्थगित रखा गया है तथा इस प्रतिवेदन के पैरा 33 से 45 के साथ लिया जायेगा।

(1)	(2)	(3)
	अधिक आमदनी वाले अन्य ग्रामीण उद्योग खादी का स्थान ले लें। खादी के बारे में किसी का यह दृष्टिकोण हो सकता है कि यह एक स्थायी कार्यक्रम है। बावजूद इसके, इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि निकट भविष्य में, कुछ समय के लिए, पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को काम देने हेतु इसकी एक उपयोगी भूमिका बनी रहेगी। हम इस बात पर जोर देंगे कि संगठन में आवश्यक परिवर्तन करके ग्रामीण उद्योगों की उक्त धारणा की, जिसमें खादी का समुचित स्थान हो सकता है, ठोस अभिव्यक्ति होनी चाहिए। (परिच्छेद 4.3)।	
10.	व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े परिमाण में सामाजिक एवम् आर्थिक परिवर्तन का आधार कायम करने के लिए एक साधन के रूप में खादी की कितनी क्षमता है, इसके पुर्नपरीक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक विकास की जो दृष्टि अभी विद्यमान है, उसके संदर्भ में ऐसे परिवर्तनों के लिए केवल खादी आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दे सकती। (परिच्छेद 4.8)।	ध्यान में उतारी गई है।
11.	खादी-कार्यक्रम इस अर्थ में आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता कि वह बिना सरकारी सहायता के अर्थात् उपदान (सब्सीडी) एवं छूट (रिबेट) के चलने में समर्थ हो सके। ग्रामीण लोगों के कुछ वर्गों को सहायक धंधा देने का मुख्य प्रयोजन यदि खादी-कार्यक्रम से सिद्ध करना है, तो इसको सरकारी उपदान और छूट का दिया जाना जारी रखना होगा। पर इस बारे में सरकारी वचनबद्धता अनिश्चित या सीमित नहीं होनी चाहिए। (परिच्छेद 4.9)	समिति की सिफारिश से सरकार साधारणतया सहमत है तथा यह अनुभव करती है कि राजसहायता में कमी प्रावस्थाबद्ध रूप में ही की जानी चाहिये।
12.	भविष्य में विकासात्मक सहायता के संरक्षणात्मक स्वरूप पर अधिक जोर न देकर विधायक स्वरूप पर अधिक जोर देना चाहिये। सहायदा के विधायक प्रकारों में प्रशिक्षण, अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और कार्यकारी पूंजी के लिए सहायता एवं ऋण शामिल हैं। कार्यकारी पूंजी का ऋण आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाना चाहिये। खादीकार्यक्रम के लिए कर्ज पर ब्याज की रियायती दरें भी स्वीकार करनी चाहिए। (परिच्छेद 4.9)	स्वीकृत
13.	खादी-कार्यक्रम के लिए सरकारी उपदानों की मात्रा एक सीमा के भीतर रहना चाहिये। पारम्परिक खादी-कार्यक्रम के लिए (जिसमें अंबर चरखा भी शामिल है) प्रबन्ध-अनुदान, बिक्री-छूट, उपदान, प्रशिक्षण आदि के रूप में प्रतिवर्ष दिये जाने वाले सरकारी अनुदानों की कुल रकम की पांच करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा राशि निर्धारित कर देनी चाहिये। इस राशि में ऐसी सारी सहायताएं शामिल होंगी, जिनकी जरूरत ग्रामदानी गांवों में या अन्य प्रयुक्त क्षेत्रों में या एक और दो तकुवे वाले चरखे चालू करने की दृष्टि से या पारम्परिक चरखे में चूड़ी-कताई की पद्धति शामिल करके स्वावलंबी खादी का विस्तार करने के लिए हो सकती है। (परिच्छेद 4.9)	स्वीकृत तथा क्रियान्वित की गई।

(1)	(2)	(3)
14.	नये नमूने के चरखे का कार्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए कि सरकारी सहायता की जरूरत घट कर कम से कम रह जाय और बाजार में खादी की खपत की जितनी क्षमता हो, उसी सीमा के भीतर उत्पादन किया जाय। नये नमूने के चरखे चालू करने के लिए किसी बड़े नियमित कार्यक्रम को मंजूरी देने के पहले कमीशन और सरकार की ओर से उसके आर्थिक तथा संगठनात्मक पहलुओं की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिये। (परिच्छेद 4.10)।	स्वीकृत तथा क्रियान्वित की गई।
15.	"बीस काउन्ट से नीचे के सूत से कपड़ों का उत्पादन केवल खादी के लिए सुरक्षित रखा जाय, सारा अतिरिक्त हाथ कता सूत सरकार खरीद ले और मिल-सूत के साथ उसे मिलाकर कपड़ा बुनवाये तथा बेचे एवं मिलों, हाथ-करघों तथा बिजली करघों द्वारा तैयार कपड़ों के और खादी के मूल्यों को मिलाकर कपड़ों की बिक्री हो," ऐसे अनेक प्रस्ताव एवं सुझाव पेश किए गए हैं, पर ये सब प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं मालूम होते हैं। (परिच्छेद 4.11)।	नोट किया गया।
16.	पारंपरिक खादी का कार्यक्रम व्यक्तियों और ग्रामों के वस्त्र-स्वावलम्बन की ओर अभिमुख होना चाहिए एवं बिक्री के लिए खादी का भविष्यत् उत्पादन नये माडेल चरखे पर कते सूत से होना चाहिए। उसमें तकनीकी सुधार दाखिल करने तथा बिजली का उपयोग लेने के लिए भी मुक्त अवसर प्राप्त होने चाहिए। (परिच्छेद 4.12, 4.13)	विशेष परिस्थितियों की आपात अवस्था में सिद्धान्ततः स्वीकृत
17.	खादी के उत्पादन हेतु जो तकनीकें अपनायी गयी हैं, उनमें लगातार और शीघ्र गति से सुधार करने की एवं उस प्रयोजन के लिए व्यवस्थित अनुसंधान के संगठन की आवश्यकता है। पर अनुसंधान एक सुनिश्चित उद्देश्य सामने रखकर किया जाना चाहिए। अनुसंधान का साधारण उद्देश्य कारीगर की खुद-रोजगारी के अर्थात् स्वतः अपना काम करने के स्वरूप को बनाए रखने का होना चाहिए; लेकिन उसका विशेष उद्देश्य कारीगर की कार्य-क्षमता को बढ़ाने का होना चाहिये, ताकि वह एक न्यूनतम मजदूरी कमाने के योग्य हो सके और मिल कपड़ा, हाथ करघे का कपड़ा तथा खादी के बीच के दामों में जो फर्क है, उसे हटाया जा सके। भविष्य के लिए तकनीकी सुधार की कसौटी ऐसी हो कि नये नमूने के चरखे में जो उत्पादकता प्राप्त हो चुकी है, उस स्तर से आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। निम्न दर्जे की तकनीक में सुधार करने की ऐसी किसी भी योजना को सरकार धन की सहायता अलग से न करे, जो उपर्युक्त कसौटी के अनुकूल न हो। (परिच्छेद 4.14, 4.15)	स्वीकृत
18.	खादी की सुधरी हुई तकनीकों में अनुसंधान करने की दृष्टि से इस क्षेत्र में पहले से ही जो अनेक अनुसंधान शालाएं तथा संस्थाएं काम कर रही हैं, उनमें उपलब्ध विशेषज्ञों और साधनों का लाभ अधिक से अधिक उठाना चाहिए। अनुसंधान-कार्यों का संगठन क्षेत्रीय तथा राज्य स्तर पर अधिकाधिक मात्रा में करना चाहिए। (परिच्छेद 4.16)।	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)
19.	खादी कार्यक्रम के भावी विकास-कार्य को सभी क्षेत्रों की पूर्ण और आंशिक बेकारी के प्रभाव के साथ जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और किसी क्षेत्र में खादी-काम के विकास की कोई योजना तैयार करने के पहले स्थानीय मांग का सर्वेक्षण तथा उत्पादन-लागत का अन्दाज कर लेना चाहिए। ऐसे किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए कि क्या उन क्षेत्रों में काम देने का सबसे अच्छा तथा सबसे मितव्ययी उपाय खादी के विकास में निहित है, उस सर्वेक्षण के परिणाम तथा साधारणतः वहां की आर्थिक स्थिति की राज्य-मण्डलों द्वारा जांच की जानी चाहिए। (परिच्छेद :4.17)	स्वीकृत
20.	खादी कार्यक्रम इस ढंग से संगठित करें तथा उसे इस तरह मोड़ दें कि पिछड़े हुए क्षेत्रों के, आदिवासी तथा दूर-दूर के क्षेत्रों के और अकाल तथा सूखा-पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को एवं हरिजनों, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, छोटे किसानों आदि के समान पिछड़े हुए लोगों को तथा अल्प सुविधा प्राप्त जनता को उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जहां तक संभव हो, इन प्रयोजनों की दृष्टि से खादी के कामों का विकास तकनीकी दृष्टि से सुधरे हुए साधनों की मदद से करना चाहिए। (परिच्छेद :4.18)	स्वीकृत
21.	खादी की मजदूरी का निर्धारण अभी तदर्थ रूप में किया जाता है, हालांकि यह कहा जाता है कि कृषि-मौसम के बाद स्थानीय खेतिहर मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, उससे उसका संबंध है। चूंकि खादी को ग्रामीण उद्योगों में से एक उद्योग के रूप में मानना चाहिए, इसलिए खादी के विस्तार के ऐसे कार्यक्रम में, जिसका आधार सुधरे हुए औजार हों, कत्तिनों की मजदूरी कृषि-मौसम के बाद खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी के बराबर होनी चाहिये। (परिच्छेद :4.20)	स्वीकृत
22.	संस्थाओं को तकनीकी सेवाएं देने में कमीशन द्वारा जो खर्च किया जाता है और कमीशन का जो प्रशासकीय खर्च होता है, उसे इस कार्यक्रम पर होनेवाले खर्च का ही एक हिस्सा मानना चाहिए पर वह अनुदान के रूप में समझा जाय। अतः उसे खादी के बिक्री-मूल्य में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। कमीशन द्वारा जो उत्पादन और व्यापारिक कार्य किया जाता है, उसके संबंध में भी उपरिव्ययों का कोई मानक निर्धारित किया जाना चाहिये। (परिच्छेद :4.21)	स्वीकृत तथा पहले ही क्रियान्वित।
23.	अंडी, मूंगा तथा कते हुए रेशम एवं आमतौर पर उपयोग में आनेवाली ऊनी वस्त्रों को छोड़कर रेशमी और ऊनी खादी पर जो दस प्रतिशत की बिक्री-छूट अभी दी जा रही है, उसे क्रमशः घटाना चाहिए और अन्त में वह पूर्णतः बंद कर देनी चाहिये। (परिच्छेद :4.22)	सिद्धान्त रूप में स्वीकृत और यह एक प्रावस्थाबद्ध ढंग से कार्यान्वित की जायेगी।
24.	खादी-कार्यक्रम से ग्रामोद्योग का कार्यक्रम दो महत्वपूर्ण बातों के कारण अलग पड़ता है: (1) इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का ज्यादातर भार राज्य खादी-ग्रामोद्योग मंडलों के जिम्मे है; और (2) उन्हें अमल में लाने का मुख्य भार (पंजीकृत संस्थाओं की अपेक्षा) क्षेत्र अभिकरण के रूप में सहकारी समितियों पर है। कुछ ग्रामोद्योगों में, खासकर ताड़-गुड़ तथा ताड़ पत्ते के उत्पादन, ग्रामीण चमड़ा, तन्तुओं	नोट कर लिया

(1)	(2)	(3)
	का उत्पादन, गैस तथा अखाद्य तेल और साबुन-उद्योग में प्रारंभिक काम करने का श्रेय खादी और ग्रामोद्योग कमीशन को है। फिर भी, ग्रामीण उद्योगों का व्यापक क्षेत्र और उसमें लगे हुए बहुसंख्य कारीगर अब भी खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के कार्यक्रमों की पहुंच के बाहर ही हैं। (परिच्छेद : 4.23)	
25.	स्थानीय साधन-स्रोतों और शिल्पिक कुशलता पर आधारित ग्रामोद्योग संभावनाओं से भरे हुए हैं। अगर उनको समुचित मार्गदर्शन दिया जाय तथा उनकी तकनीकों में लगातार सुधार हो, तो ग्रामोद्योगी कार्यक्रम से ग्राम-समाज के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने में मदद मिल सकती है। कच्चे माल की समुचित पूर्ति सुनिश्चित करने, शिल्पिक कुशलता तथा तकनीकों के स्तर को ऊंचा उठाने और बिक्री-सहायता संबंधी व्यवस्था जैसी बुनियादी समस्याओं के समाधान के लिए अधिक विस्तृत और समग्र कार्यक्रम बनाना चाहिये, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थतन्त्र के लिए एक सुदृढ़ कृषि-औद्योगिक आधार का निर्माण हो। (परिच्छेद :4.25)	स्वीकृत
26.	राज्य-ग्रामीण उद्योग-मंडल ग्रामीण उद्योग-आयोग के साथ परामर्श करके हर राज्य में ग्रामीण उद्योगों के विकास के कार्यक्रम तैयार करें। इन कार्यक्रमों का आधार खुद-रोजगारी में लगे लोगों द्वारा स्थानीय साधन-स्रोतों के अधिकतम उपयोग का होना चाहिये। इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और सुधरे औजारों तथा तकनीकों के साथ जहां संभव हो, छोटे यंत्रों तथा बिजली के उपयोग के लिए उन्हें समर्थ बनाया जाना चाहिये। बड़े पैमाने पर पारंपरिक कारीगरों की निकासी यथासंभव टालनी चाहिये। (परिच्छेद :4.26)	निर्णय स्थगित किया गया है क्योंकि इसका संगठनात्मक पुनर्निर्माण से संबंध है और इस पर समिति की सिफारिश सं० 33 से 45 के साथ-साथ विचार किया जायेगा।
27.	छोटे उद्योगों के लिए एक तकनालाजी संबन्धी अनुसंधान-संस्थान की स्थापना करनी चाहिए, जो ग्रामीण उद्योगों के लिए समुचित तकनालाजी की समस्याओं पर अनुसंधान करे और ग्रामीण उद्योगों के विकास से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान के बारे में ग्रामीण उद्योग आयोग तथा राज्य-मंडलों को परामर्श तथा सहायता दे। (परिच्छेद :4.27)।	स्वीकृत और क्रियान्वित किया जा रहा है।
28.	ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को फैलाने के महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, उन लोगों को समुचित प्रोत्साहन देना; जो इन उद्योगों की स्थापना में अभिरुचि रखते हैं। उत्पादन या बिक्री के स्तर पर मुख्यतः तकनीकी सहायता, सेवाएं और विशेष सुविधाओं के रूप में यह प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये एवं सरकारी सहायता पर बहुत निर्भर नहीं रहना चाहिये। कुछ उद्योगों के लिए आरक्षण मूल्य एकत्रीकरण (प्राईस पूलिंग) की व्यवस्था आदि के रूप में भी कुछ उपाय आवश्यक समझे जा सकते हैं। ग्रामीण उद्योग आयोग और राज्य-मंडल उन ग्रामीण उद्योगों तथा उनके उत्पादन की मदें निर्धारित करेंगे, जिनके लिए उत्पादन के क्षेत्रों का आरक्षण, मूल्य-एकत्रीकरण आदि सहित किन-किन रूपों में सहायता एवं संरक्षण की आवश्यकता है फिर इनके सम्बन्ध में वे योजना बनायें (परिच्छेद :4.28)	स्वीकृत

(1)	(2)	(3)
29.	जिन ग्रामीण उद्यागों को विभिन्न क्षेत्रों में विकसित करना है और उनके विकास एवं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए जिन क्षेत्रीय एजेंसियों को काम में लाना है, उनके चुनाव में व्यावहारिक दृष्टि अपनानी चाहिये। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के साधन-स्रोतों को प्रथमतः उन ग्रामीण उद्योगों के विकास पर केन्द्रित करना चाहिए, जिनकी एक निश्चित समय के बाद वर्धनक्षम होने की समुचित संभावना हो। काम करने वाली यह क्षेत्रीय एजेंसी सहाकारी समिति या पंजीकृत संस्था, निजी उद्यमी, कारीगर, ग्राम पंचायत या स्वयं सेवी संघ हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर है कि किस के काम से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। (परिच्छेद : 4.29) ।	स्वीकृत
30.	ग्रामीण उद्योगों की वस्तुओं के उत्पादन की योजना ऐसी बननी चाहिये कि वस्तुओं का उपयोग यथासंभव उसी गांव में या उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हो सके। स्थानीय उपभोग से यदि कुछ बच जाता है, तो उसकी बिक्री पंजीकृत संस्थाओं या अन्य मान्यताप्राप्त क्षेत्रीय एजेंसियों के बिक्री-भंडारों के मार्फत दूसरे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होनी चाहिये। जिन ग्रामीण उद्योगों के उत्पादनों का बाहरी देशों में निर्यात किया जा सकता हो, उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। (परिच्छेद : 4.30)	भावी कार्यक्रम के मार्ग-दर्शन के लिए नोट कर लिया।
31.	वर्तमान भवनों और भंडारों के काम पंजीकृत संस्थाओं और अन्य मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय एजेंसियों के हाथों धीरे-धीरे सौंप देने की दृष्टि से प्रभावशाली और आवश्यक कदम उठाए. जाने चाहिये। (परिच्छेद :4.31) ।	आयोग को सलाह दी गई है कि जहां भी व्यवहार्य हो वह इस पर कार्यवाही करे।
32.	सहायता का मौजूदा स्वरूप विविध रुपेण और उलझनपूर्ण हो चला है। इसलिए उसे अधिक सरल, अधिक कार्यक्षम तथा युक्तिसंगत बनाने की आवश्यकता है । (परिच्छेद : 6.21)	स्वीकृत व क्रियान्वित
33.	पुनर्निर्माण के इन कार्यक्रमों के लिए एक मजबूत तथा अच्छे संगठनात्मक ढांचे की आवश्यकता होगी। नीति-निर्माण और प्रशासन के स्तर पर संगठन के विभिन्न अंगों के बीच अत्यधिक मेल और सुसंबद्धता होनी चाहिये, ताकि काम शीघ्र गति से एवं प्रयोजन-पूर्वक किया जा सके। इसके अतिरिक्त, गांवों की अत्यधिक गरीबी और पूर्ण तथा आंशिक बेकारी का मुकाबला करने के लिए, भौतिक और मानवीय, दोनों प्रकार के ग्रामीण साधन-स्रोतों को संगठित करने के लिए तथा ग्रामों की आय बढ़ाने के लिए कुछ भिन्न प्रकार के संगठनात्मक ढांचे की जरूरत होगी, जो आज की सीमित अनुसूची के ग्रामोद्योगों के स्थान पर सभी ग्रामीण उद्योगों का समावेश, उनके महत्व की समुचित रूप से व्याख्या कर ले । (परिच्छेद : 7.1)	सरकार इस पर विचाराधीन कर रही है।
34.	नये संगठनात्मक ढांचे में सबसे ऊपर एक ग्रामीण उद्योग आयोग होना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास को आगे बढ़ाए। इसे विस्तृत अधिकारों	सरकार इस पर विचार कर रही है।

(1)	(2)	(3)
	से संपन्न ऐसा एक अकेला संगठन होना चाहिए, जिसके पास आवश्यक सत्ता तथा साधन-स्रोत हों एवं ग्रामीण क्षेत्रों को शीघ्रता से उद्योग संपन्न बनाने का दायित्व उस पर हो। यह एक वैधानिक संगठन होगा, जिसमें सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए मनोनीत सात से नौ व्यक्ति होंगे और उसे ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए परामर्श देने, प्रशिक्षण और अनुसंधान का कार्य करने तथा कराने एवं सर्व साधारण रूप से कार्यक्रम को कार्यान्वित तथा सुसंबद्ध करने के अधिकार होंगे। पांच वर्षों की एक सीमित अवधि के लिए इसे स्वीकृत प्रयोजनों के लिए किसी को आर्थिक सहायता देने का भी अधिकार हो। इस अवधि की समाप्ति के बाद अपने-अपने राज्यों में इन कार्यक्रमों के संचालनार्थ धन देने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सीधे वित्तीय सहायता दी जाये। जिन संस्थाओं का काम एक से अधिक राज्यों में चलता है, वे आर्थिक सहायता की प्राप्ति के लिए या तो एक राज्यीय संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाये या विभिन्न राज्यों की सीमाओं के भीतर अपने कामों को अलग संस्था के रूप में प्रकट करें। (परिच्छेद : 7.2)	
35.	अधिक अच्छा होगा कि आयोग के अध्यक्ष एक गैर-सरकारी व्यक्ति हों और उसके सदस्यों में एक अर्थशास्त्री, एक तकनीकी-विशेषज्ञ, एक वित्त-विशेषज्ञ और एक योजना-विशेषज्ञ होना चाहिये, जिसे ग्रामीण तथा छोटे उद्योग की योजना बनाने का अच्छा अनुभव हो। आयोग की बैठकों में प्रशासनिक मंत्रालय का एक प्रतिनिधि स्थायी रूप से नियंत्रित हो। (परिच्छेद : 7.2)	सरकार के विचाराधीन।
36.	वर्तमान खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ग्रामीण उद्योग-आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यवाही सरकार शीघ्र ही करे। (परिच्छेद : 7.2)	सरकार के विचाराधीन।
37.	राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ग्रामीण उद्योग आयोग यह समझे कि उसे एक परामर्श-मण्डल की भी सहायता करनी चाहिए, तो वह अखिल भारतीय भारत खादी और ग्रामोद्योग-मण्डल के पुनर्निर्माण के लिए सरकार से प्रस्ताव कर सकता है। (परिच्छेद : 7.3)	सरकार के विचाराधीन
38.	ग्रामीण उद्योगों के विकास से संबंधित दूसरे संगठन जैसे हाथकरघा मण्डल, हस्तशिल्प मंडल, लघु उद्योग मण्डल, नारियल जटा (कॉयर बोर्ड) मण्डल, केन्द्रीय रेशम मण्डल और कृषि-उद्योग निगम अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ-संगठनों के रूप में काम करते रहें। इस संगठनों और ग्रामीण उद्योग आयोग के कार्यक्रमों तथा दृष्टिकोण के बीच समन्वय साधना संबंधित प्रशासकीय केन्द्रीय मंत्रालय का दायित्व होगा। इस निमित्त एक समन्वय-समिति स्थापित की जाय, जिसमें आयोग का भी प्रतिनिधित्व हो। संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय ग्रामीण उद्योग-विभाग के लिए सर्वोच्च स्तर पर और संपूर्ण रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। (परिच्छेद : 7.4)	सरकार के विचाराधीन।

(1)	(2)	(3)
39.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण उद्योग आयोग के रूप में परिवर्तित हो जाने के बाद राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डल का स्थान भी राज्य ग्रामीण उद्योग-मण्डल ले लेंगे। इन मण्डलों के कार्य और क्षेत्र विस्तृत और व्यापक होने चाहिए। उसको राज्य के सभी ग्रामीण उद्योगों के विकास से संबंधित कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा, न कि केवल उन्हीं उद्योगों को, जो अभी खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अधिनियम में शामिल हैं। (परिच्छेद : 7.5)।	सरकार के विचाराधीन।
40.	राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों की स्थापना के समय राज्य खादी ग्रामोद्योग मण्डलों की पिछली त्रुटियों और असमर्थताओं को हटाने का विशेष ख्याल रखा जाये। ग्रामीण उद्योग आयोग और राज्य ग्रामीण उद्योग-मण्डलों के बीच के आन्तरिक सबधों को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाना चाहिये। प्रस्तावित ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा ग्रामीण उद्योगों के समय और समन्वित विकास के लिए निर्धारित नीतियां क्षेत्रीय संगठनों अर्थात् पंजीकृत सस्थाओं, सहकारी समितियों और अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के द्वारा राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डल विश्वसनीय रूप से कार्यान्वित कर सकें, इसलिए राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों का सुसंगठित तथा सुदृढ़ संगठनात्मक ढकाई होना जरूरी है। (परिच्छेद : 7.6)।	सरकार के विचाराधीन।
41.	प्रस्तावित राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों के अध्यक्ष राज्य के उद्योग-मत्री या कोई गैर-सरकारी व्यक्ति हों और उनके सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों, जैसे वित्त प्रशासन, अर्थशास्त्र; योजना-निर्माण आदि के विशेषज्ञ रहें। यद्यपि राज्य-मण्डल राज्य-सरकारों और राज्य-विधान-मडलों के प्रति सीधे उत्तर-दायी होंगे, परन्तु ग्रामीण उद्योग आयोग द्वारा स्वीकृत कार्य-क्रमों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग की ओर से समुचित मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य खादी-ग्रामोद्योग-मण्डलों को राज्य ग्रामीण उद्योग मण्डलों में परिवर्तित करने के लिए जो कानून बने, उसमें इस बात की उपर्युक्त व्यवस्था होनी चाहिए। (परिच्छेद : 7.7)	सरकार के विचाराधीन।
42.	ग्रामीण उद्योग मडलों का निर्माण न होने तक राज्य सरकारों को वर्तमान खादी-ग्रामोद्योग मडलों के पुनर्गठन के प्रश्न की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए। इन प्रत्येक राज्य-मंडल की सदस्य-संख्या इतनी घटा दी जाय कि वह एक छोटे और ठोस संगठन के रूप में अधिक प्रभावशाली रूप में काम कर सके। (परिच्छेद : 7.8)।	सरकार के विचाराधीन।
43.	राज्य-मंडलों के कामों का समन्वय तथा निर्देशन खादी और ग्रामोद्योग कमीशन करे। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि राज्य-मडल के अध्यक्ष (यदि वह मुख्य-मंत्री या उस काम का प्रभारी मंत्री न हों कमीशन को यह भी अधिकार होना चाहिए कि वह राज्यमण्डलों को निर्देश दे तथा उनका मार्गदर्शन करे, वार्षिक प्रतिवेदन तथा जांचा हुआ हिसाब	सरकार के विचाराधीन।

(1)	(2)	(3)
	प्राप्त करे एवं यदि आवश्यक हो तो कार्य का निरीक्षण तथा हिसाबों की प्रत्यक्ष जांच भी करे। कमीशन द्वारा दिये गये निर्देशों और परामर्श के अनुसार यदि राज्यमण्डल नहीं चलते हैं, तो कमीशन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह ऐसे राज्य-मण्डलों को आगे और अनुदान देना बंद कर दें। (परिच्छेद 7.9)	
44.	करीब पांच वर्षों की अवधि में आगामी रूप से राज्य-मंडलों को इतना सुदृढ़ बना दिया जाना चाहिये कि वे अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का पूरा दायित्व ग्रहण कर लें। यह प्रक्रिया प्रवस्थाबद्ध होनी चाहिये, जैसे प्रथम दो वर्षों में राज्य-मंडल पंजीकृत संस्थाओं और सहकारी समितियों के सभी प्रस्तावों तथा कार्यक्रमों के परीक्षण से अधिक संबंधित हों एवं अगले दो वर्षों में वे न केवल प्रस्तावों और कार्यक्रमों का ही परीक्षण करें, बल्कि खादी-ग्रामोद्योग कमीशन को उसके संबंध में अपनी सिफारिशें भी दें। कमीशन ऐसी आवश्यक कार्यवाही करे कि पांच वर्षों का पूरा दायित्व ग्रहण करने में समर्थ बन सकें। (परिच्छेद : 7.10)	सरकार के विचाराधीन।
45.	राज्य ग्रामीण उद्योग-मंडलों का ग्रामीण उद्योग आयोग के साथ सही कार्यभूमिकर अधिकार और दायित्व होना चाहिये, जो राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडलों के सिलसिले में ग्रामीण उद्योग मंडलों के बीच के संबंधों में किसी तरह की कानूनी, वैधानिक, प्रशासनिक आदि संबंधी दरार न रहे, जैसे कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा राज्य-मंडलों के बीच आज हैं। राज्य ग्रामीण उद्योग-मंडल राज्य-विधान-मंडलों के प्रति उत्तरदायी रह कर यह अपने काम की रिपोर्ट उसे देगा। फिर भी दोनों के बीच पूरा-पूरा समन्वय रहे और यह तभी संभव हो सकेगा, जब सभी महत्वपूर्ण विषयों में ग्रामीण उद्योग आयोग के निर्देशन और मार्गदर्शन के प्रति राज्य ग्रामीण उद्योग मंडलों को उत्तरदायी बनाया जाये। (परिच्छेद : 7.11)	सरकार के विचाराधीन।
46.	स्वस्थ परंपरा स्थापित करने की दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग कमीशन तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग मंडलों के सदस्यों को संबद्ध पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े नहीं रहना चाहिए। (यही बात प्रस्तावित ग्रामीण मंडलों के सदस्यों पर भी लागू होनी चाहिये)। इसी तरह, इन संगठनों से संबंधित सरकारी कर्मचारियों पर भी यह प्रतिबंध होना चाहिए कि पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों में उनका कोई स्वार्थ न हो। (परिच्छेद : 7.12)	इस शर्त के साथ सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि अनुच्छेद में उल्लिखित "सक्रिय रूप में जुड़े" शब्द से आशय कार्य समिति के सदस्यों सहित पदाधिकारियों से है।
48.	ग्रामीण उद्योग आयोग (या खादी और ग्रामोद्योग कमीशन) द्वारा जिन शर्तों पर धन दिया जाता है, उनमें एक निश्चित अवधि के भीतर ऋण लौटाने की व्यवस्था स्पष्ट रूप से होनी चाहिये। स्थायी पूंजी के लिए ऋण दिया गया हो, तो उसे लौटाने की अवधि काफी लम्बी यानी 15 से 20 वर्षों की हो सकती है। दूसरी तरफ, कार्यकारी पूंजी वापस	स्वीकार कर लिया है तथा कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(1)	(2)	(3)
	उसी काम के उपयोग में आनेवाली चलती निधि के रूप में दी जा सकती है, जिसका संबंध उत्पादन और बिक्री के स्तरों पर होगा। कार्यक्रमों की अन्य वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल अल्पकालीन ऋण दिया जाना चाहिए। (परिच्छेद : 7.13)।	
48.	चूंकि आयोग या राज्य-मण्डलों की या संबंधित क्षेत्रीय एजेंसियों की ऋण लौटाने की क्षमता ऐसे उद्योगों के विकास में निधि लगाने पर निर्भर करेगी, जो वर्धनक्षम हों। इसलिए ग्रामीण उद्योग आयोग और ग्रामीण उद्योग मंडल, इन दोनों को ही कार्यक्रम बनाने तथा उसे कार्यान्वित करते समय इस बात से निश्चित हो जाना चाहिए कि केवल उन्हीं उद्योगों को प्रोत्साहन-मूलक सहायता देने के लिए हाथ में लिया जाएगा, जिनसे एक निश्चित अवधि के बाद सामान का सारा खर्च तथा ब्याजसहित ऋण के भुगतान के लिए लगने वाले लागत व्यय के अलावा पर्याप्त बचत की भी संभावना हो। विभिन्न ग्रामीण उद्योगों की वर्धनक्षमता का अंदाज लगाने के लिए 49 ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं के अनुभवों के निष्कर्षों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो 1962-63 से कार्य कर रही हैं। (परिच्छेद : 7.15)	समाज के पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर हिस्सों की विशेष आवश्यकता के संदर्भ में सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है।
49.	खादी और ग्रामोद्योग, इन दोनों की देखभाल के लिए हर राज्य मंडल द्वारा एक स्थायी वित्त समिति की स्थापना की जानी चाहिए। राज्य खादी-ग्रामोद्योग मंडलों में जब तक राज्य-वित्त-समितियां नहीं बनायी जातीं, तब तक पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों को एक निश्चित रकम से अधिक का अनुदान तभी दिया जाना चाहिए, जब उसकी जांच राज्य-मंडल के कम से कम दो सदस्यों द्वारा कर ली गई हो। (परिच्छेद 7.16)	स्वीकार कर लिया गया है और कार्यान्वयन किया जा रहा है।
50.	जैसा कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन में किया जाता है, उसी प्रकार राज्य-मंडलों में भी राज्य-सरकारों द्वारा वित्तीय परामर्शदाता नियुक्त किए जाएं, जो अपने-अपने राज्य-मंडलों में वे ही कार्य करें, जो खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के वित्तीय परामर्शदाता के लिए निर्धारित किये गये हैं। वित्तीय और लेखा-संबंधी नियम खादी और ग्रामोद्योग कमीशन तथा राज्य मंडल, दोनों के लिए समान होनेचाहिये। हिसाब-बिभाग के कर्मचारियों को कार्यक्रमों के अनुकूल प्रशिक्षित बनाने का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। और काम कीमात्रा के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों व अन्य क्षेत्रीय एजेंसियों के के एक-एक समूह के साथ उसे संलग्न करना चाहिये। वित्तीय परामर्शदाता अपने-अपने क्षेत्र में आंतरिक लेखा-परीक्षण का भी प्रबन्ध करें, ताकि वे निधि के समुचित उपयोग के बारे में अपना समाधान कर सकें। जो धन उनके जिम्मे दिया जाय, उसके लिए वे सार्वजनिक निधियों के वित्तीय प्रबन्ध का एक वार्षिक विवरण भी तैयार करें, जिसे खादी और ग्रामोद्योग कमीशन/राज्य मंडलों के वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल किया जा सके। ये प्रतिवेदन संसद/राज्य-विधान-मंडलों के सम्मुख पेश किए जाते हैं। हिसाबी आपत्तियों को निपटाने में आन्तरिक लेखा-परीक्षण विभाग की ओर से एजेंसियों	स्वीकार कर लिया गया है और सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेज दी गई है जिनमें से छः राज्य सरकारों ने इसे कार्यान्वित भी कर लिया है।

(1)	(2)	(3)
	को सहायता तथा प्रशिक्षण मिलेगा एवं खादी और ग्रामोद्योग कमीशन/राज्य मंडलों के वित्तीय परामर्शदाताओं के ध्यान में गंभीर प्रकरणों को लाने में मदद भी मिलेगी। पर लेखा-परीक्षण केवल प्रमाण-पत्रों की जांच तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें यह भी देखना चाहिए कि व्यय समुचित रूप से हुआ है या नहीं और वह नियोजित काम से ही संबंधित है। (परिच्छेद : 7.18)।	
51.	विकेन्द्रित कार्यक्रमों की विशेष कठिनाइयों को देखते हुए केन्द्रीय सरकार बजट बनाने की, हिसाब रखने की और लेखा-परीक्षण की पद्धतियों को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने के बारे में विचार करे। अभी तीन (खादी और ग्रामोद्योग कमीशन, राज्य मंडल और पंजीकृत संस्थाएं/सहकारी समितियों के) स्तरों पर रिकार्ड रखने की आवश्यकता होती है। इसको सरल बनाने की दृष्टि से पुनरावलोकन होना चाहिए। बेशक, सार्वजनिक निधि के लिए संसद् और राज्य विधान मंडल के प्रति समुचित उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए ही यह होना चाहिए। (परिच्छेद 7.19)।	स्वीकार कर लिया गया है और कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
52.	भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक से परामर्श करके भारत सरकार समुचित वित्तीय और हिसाब संबंधी नियमों का निर्माण करे तथा फार्मों एवं रिकार्डों आदि का और इसी तरह वार्षिक हिसाब आदि के स्वरूप का निर्धारण करे, जिन्हें एक तरफ तो सभी पंजीकृत संस्थाएं/सहकारी समितियां/अन्य क्षेत्रीय एजेंसियां तथा दूसरी तरफ खादी और ग्रामोद्योग कमीशन व राज्य मण्डल समान रूप में अंगीकार करें कार्यक्रमों की आवश्यकताओं की पूर्ति और सार्वजनिक निधि के मामले में संसद् के प्रति उत्तरदायित्व का समुचित रूप से निर्वाह करने की बात निश्चित करने की दृष्टि से ऐसा किया जाना चाहिए। (परिच्छेद 7.20)।	स्वीकार कर लिया गया है और कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।
53.	जैसा कि खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के हिसाबों के बारे में नियंत्रक व महा लेखा-परीक्षक को लेखा-परीक्षण-प्रतिवेदन के साथ-साथ प्रमाणित वार्षिक लेखा-विवरण संसद् को देना पड़ता है, वैसी ही व्यवस्था राज्य मंडल-अधिनियमों में राज्य महा लेखा-पालों के लिए होनी चाहिये कि वह अपने-अपने राज्य के विधान मंडलों में संबंधित राज्य मंडलों के लेखा-परीक्षण-प्रतिवेदनों के साथ प्रमाणित वार्षिक लेखा-विवरण भी दें। इसके निमित्त महा लेखापाल को बहियां, हिसाब के प्रमाण-पत्र (वाउचर), लेखा-परीक्षण से संबंधित अन्य कागजात आदि मांगने का तथा राज्य-मंडल के किसी भी कार्यालय के निरीक्षण का अधिकार होना चाहिए। (परिच्छेद : 7.21)।	स्वीकार कर लिया गया है और आवश्यक अंशों का कार्यान्वयन किया जा चुका है।
54.	राज्य-मंडलों को ऐसी शर्तों का परिपालन करना होगा, जिन्हें आयोग राज्य-सरकारों से परामर्श करके निर्धारित करेगा। भारत की संचित निधि से राज्य-मंडलों और पंजीकृत संस्थाओं/सहकारी समितियों आदि को आयोग द्वारा दिये जाने वाले धन से संबंधित ये शर्तें होंगी। भारत की संचित	स्वीकार करके सिफारिशें राज्य सरकारों के पास भेजी जा चुकी हैं।

(1)	(2)	(3)
	निधि से जो धन पंजीकृत संस्थाएं/सहकारी समितियां प्राप्त करेंगी, उन्हें आवश्यकतानुसार उस धन के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांग की जाने पर हिसाब का विवरण तथा अन्य रिकार्ड जांच के लिए पेश करना होगा। (परिच्छेद : 7.22)	
55.	प्रशासन-मंत्रालय उच्च पदाधिकारियों की एक ऐसी स्थायी अन्तर्विभागीय समिति स्थापित करे, जो आयोग द्वारा प्रेषित तकनीकी, विक्रय-संबंधी, वित्तीय और हिसाब-संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञतायुक्त मार्गदर्शन करे। इस समिति की मदद प्रशासन-मंत्रालय का ऐसा कोई विभाग या घटक करे, जो उसके पास भेजी गयी संबंधित समस्याओं की जांच के लिए आवश्यक सभी आंकड़ों का संग्रह और विश्लेषण भी करेगा। उपर्युक्त विशेषज्ञतायुक्त मार्गदर्शन की पद्धति निस्संदेह उपयोगी सिद्ध होगी। पर आयोग अपने दैनदिन काम में, विशेषकर पदों पर नियुक्ति, भर्ती के नियम आदि के विषयों में निर्णय लेने में पर्याप्त स्वतंत्रता का उपभोग करे, यह भी आवश्यक है। (परिच्छेद : 7.24)।	खादी और ग्रामोद्योग आयोग अब औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मार्ग-दर्शन के लिए मंत्रालय में आयुक्त (औद्योगिक सहकारिता) के अधीन एक अलग प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। आयोग के भीतर भी अधिक वरिष्ठता वाले और प्रतिभाशाली अधिकारियों को इसकी आन्तरिक कार्य-विधि का सही मार्गदर्शन करने के लिए नियुक्त किया गया है। अतः इस सुझाव को आंशिक रूप में कार्यान्वित किया गया है।
56.	राज्य में खादी-ग्रामोद्योग सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण और पंजीयन के लिए अभी जो प्रबंध है, उसमें सुधार करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। जहां भी निश्चित संख्या से अधिक खादी-ग्रामोद्योग सहकारी समितियां हो जायें, वहां उन समितियों की विशेष देखभाल के लिए राज्य-सरकार द्वारा सहकारी समितियों के किसी संयुक्त पंजिकाधिकारी (रजिस्ट्रार) या उप-पंजिकाधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। (परिच्छेद : 7.25)।	स्वीकार करके राज्य सरकारों को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।
57.	आयोग और राज्य-मंडल मुख्यतः पथप्रदर्शन, समन्वय और प्रोत्साहन का कार्य करें एवं विभागीय केन्द्रों की स्थापना के द्वारा उत्पादन या विक्रय-योजनाओं के कार्यान्वयन में अपने को सीधे शामिल न करें। ऐसे केन्द्र पंजीकृत संस्थाओं या सहकारी समितियों को दे दिए जाएं। पर जब भी आवश्यकता हो, नये और सुधरे हुए तकनीक दाखिल करने की दृष्टि से मार्गदर्शी उत्पादन-योजनाओं या विक्रय-योजनाओं का दायित्व आयोग या राज्य-मंडल उठा सकते हैं। (परिच्छेद : 7.26)।	सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है फिर भी ऐसे अवसर और क्षेत्रों के होने की सम्भावना है जहां आयोग के लिए सीधे तौर पर कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों के हित में उत्पादन और विक्रय सम्बन्धी योजनाओं का स्वयं भी कार्यान्वयन आवश्यक हो जाय।

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 फरवरी 1973

प्रस्ताव

सं० 3-5/69 वन विकास—केन्द्रीय वन मंडल का संशोधित गठन भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव सं० 3-5/69-वन विकास दिनांक 30 मई, 1972 द्वारा अधिसूचित किया गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि गोवा, दमन, दीव तथा मिजोरम के उप राज्यपालों के स्थान पर इन संघ राज्य क्षेत्रों के वन-प्रभारी मंत्री केन्द्रीय वन मंडल के सदस्य होंगे। तदनुसार, दिनांक 30 मई, 1972 के प्रस्ताव की क्रम संख्या 25-26 के सामने उपराज्यपाल शब्दों के स्थान पर "वन प्रभारी मंत्री" शब्द प्रतिस्थापित किए जायें।

यह भी निर्णय किया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के स्थान पर दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के वन-प्रभारी कार्यकारी पार्षद् केन्द्रीय वन मंडल के सदस्य होंगे। तदनुसार, दिनांक 30 मई, 1972 के प्रस्ताव की क्रम संख्या 24 के सामने "उप-राज्यपाल" शब्द के स्थान पर "वन-प्रभारी कार्यकारी पार्षद" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य जानकारी के लिए यह प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1973

संकल्प

(संकल्प संख्या एफ० 6-41/69/आई० एल० 2 दिनांक—मई, 1969 का शुद्धिपत्र)

(शुद्धि-पत्र)

सं० एफ० 15-4/72-एल०-1—तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रोफेसर एम० मुजीब के बीमार होने के कारण, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के कुलपति प्रो० अब्दुल अलीम को प्रो० एम० मुजीब के स्वस्थ हो जाने तक तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

संकल्प की अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सभी कुलपतियों, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय कार्य विभाग; लोक सभा सचिवालय; राज्य सभा सचिवालय; राष्ट्रपति सचिवालय और सभी राज्य सरकारों; भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

एस० के० चतुर्वेदी, उप सचिव

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 1973

संकल्प

सं० बिजली-दो-34(37)/71—उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड और परमाणु ऊर्जा यूनिटों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए बोर्ड में परमाणु ऊर्जा प्राधिकार को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राधिकार के प्रतिनिधि को बोर्ड के सदस्य रूप में तत्काल नियुक्त किया जाए। इसकी परिपालना करते हुए इस मंत्रालय के संकल्प संख्या बिजली-दो-34(27)/66, दिनांक 5 अगस्त, 1966 और संख्या बिजली-दो-34(45)/66, दिनांक 13 सितम्बर, 1967, 12 जून, 1968, 20 सितम्बर, 1968 और 11 दिसम्बर, 1968 और संख्या बिजली-दो-34(37)/71, दिनांक 17 जून, 1971, 14 सितम्बर, 1971 और 17 मई, 1972 द्वारा संशोधित इस मंत्रालय के उत्तरी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड के गठन से संबंधित संकल्प संख्या बिजली-दो-35(3)/63, दिनांक 13 फरवरी, 1964 के पैरा 2 को निम्न प्रकार से बनाया जाता है :—

1. बिजली विकास विभाग के आयुक्त तथा पदेन संयुक्त सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार
2. अध्यक्ष, पंजाब राज्य बिजली बोर्ड
3. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
5. अध्यक्ष, दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति
6. अध्यक्ष, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड
7. अध्यक्ष, भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड
8. अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड
9. मुख्य अभियंता, प्रभारी बिजली कार्य, चंडीगढ़
10. परमाणु ऊर्जा प्राधिकार का एक प्रतिनिधि
11. केन्द्रीय बिजली प्राधिकार का एक प्रतिनिधि
12. सदस्य-सचिव

पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड के सदस्य बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सरकारों, दिल्ली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों और भाखड़ा प्रबंधक बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों; प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पास भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० बि० दो-34(1)/73—पश्चिमी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड और परमाणु ऊर्जा यूनिटों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए बोर्ड में परमाणु ऊर्जा प्राधिकार को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राधिकार के प्रतिनिधि को बोर्ड के सदस्य के रूप में तत्काल नियुक्त किया जाए। इसकी परिपालना करते हुए इस मंत्रालय के संकल्प सं० बि० दो-34(5)/64, दिनांक 10 जुलाई, 1967 और सं० बि० दो-34(15)/67, दिनांक 14 दिसम्बर, 1967, और सं० बि० दो०-34(29)/68, दिनांक 28 नवम्बर, 1969 द्वारा संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० बि० दो-35(2)/63, दिनांक 28 मार्च, 1964 के पैरा 2 को निम्न प्रकार से बनाया जाता है:—

(1) अध्यक्ष, गुजरात राज्य बिजली बोर्ड;
(2) अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड;
(3) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड;
(4) सचिव, गुजरात सरकार, उद्योग, खान तथा विद्युत् विभाग;
(5) सचिव, गुजरात सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग;
(6) सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग और श्रम विभाग;
(7) सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग;
(8) मुख्य अभियंता, सिंचाई और विद्युत् विभाग, महाराष्ट्र;
(9) मुख्य विद्युत् अभियंता, गोआ, दमन और दियु;
(10) जिलाधीश, दादरा और नागर हवेली प्रशासन;
(11) परमाणु ऊर्जा प्राधिकार का एक प्रतिनिधि;
(12) केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि;
(13) सदस्य-सचिव।

ऊपर (1) से (3) तक जो सदस्य हैं, वे बारी-बारी से एक-एक वर्ष के लिए क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों और उनके राज्य बिजली बोर्डों, गोआ, दमन और द्यु और दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण, पश्चिम क्षेत्रीय बिजली बोर्ड, केन्द्रीय बिजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के पास भेजा जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संकल्प

सं० बि० दो-34(2)/73—दक्षिणी क्षेत्रीय बिजली और प्रदेश परमाणु ऊर्जा यूनिटों के बीच निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए बोर्ड में परमाणु ऊर्जा प्राधिकार को प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से यह निर्णय किया गया है कि परमाणु ऊर्जा प्राधिकार के प्रतिनिधि को बोर्ड के सदस्य के रूप में तत्काल नियुक्ति किया जाए। इसको परिपालना करते हुए इस मंत्रालय के संकल्प संख्या बि० दो-34(5)/64, दिनांक 10 जुलाई, 1967 द्वारा संशोधित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या बि० दो-35(1)/63, दिनांक 7 फरवरी, 1964 के पैरा 2 को निम्न प्रकार से बनाया जाता है:—

(1) अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड;
(2) अध्यक्ष, केरल राज्य बिजली बोर्ड;
(3) अध्यक्ष, तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड;
(4) अध्यक्ष, मैसूर राज्य बिजली बोर्ड;
(5) मुख्य सचिव, पांडिचेरी सरकार;
(6) परमाणु ऊर्जा प्राधिकार का प्रतिनिधि;
(7) केन्द्रीय बिजली प्राधिकार का प्रतिनिधि;
(8) सदस्य सचिव।

उपर्युक्त क्रम संख्या (1) से (4) में दिए गए सदस्य प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी वर्णक्रम से बारी-बारी क्षेत्रीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प को आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मैसूर की सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों, भारत सरकार के मंत्रालयों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को भेज दिया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

श्री ना० विश्वे, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1973

संकल्प

सं० यू०/23011/1/71-एम०-4 :—भारत सरकार ने इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 10/31/68-एम०-3, दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 में स्थापित किये गये लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण निधि संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित बोर्ड का गठन निम्नलिखित है:—

अध्यक्ष

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) में अपर सचिव।

सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, बिहार पटना।
2. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, मध्य प्रदेश। मोती बंगला, एम० जी० रोड, इन्दौर।
3. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त गोवा दमन, दीव, रूआ स्ट्रीट टोम, साल्डनहास बिल्डिंग पानाजी, गोवा।
4. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त मैसूर, संख्या 7, इन्फैन्ट्री रोड, बंगलौर।
5. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र, द्वारा खनन और भूविज्ञान निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, नागपुर।
6. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश, हैदरगुडा, हैदराबाद।
7. लौह अयस्क खान कल्याण आयुक्त, उड़ीसा, भुवनेश्वर।

नियोजकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. श्री ओ० डी० शर्मा, प्रबन्धक (औद्योगिक संबंध), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, 'ग्रुहा—काल्पा" के पीछे, मुकार्रामजाही रोड, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
2. श्री पी० पी० बालकृष्ण, मुख्य अधिकारी (औद्योगिक संबंध), हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, डाकघर हिनू, रांची।

3. श्री ए० एल० नायर,
अध्यक्ष,
दि उड़ीसा माइनिंग कौरपोरेशन लि०,
भुवनेश्वर।

4. श्री बी० एल० वर्मा,
मुख्य खनन इंजीनियर,
दि इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लि०,
मार्टिन बर्न हाऊस,
12, मिशन रोड,
कलकत्ता-1।

5. श्री एम० एस० तालाउलिकर,
अध्यक्ष,
गोवा खनन एसोसिएशन,
हीरामहल,
डाक्टर दादा वैद्य रोड,
पानाजी गोवा।

6. श्री धर्मचन्द जैन, संसद् सदस्य,
मैसर्स आर० मैकडिल्ल एण्ड कं० (पी०) लि०,
मिनरल हाउस,
27-ए०, कैमैक स्ट्रीट,
कलकत्ता-16।

7. श्री पी० टी० के० पानिकर,
मुख्य कार्मिक और कल्याण प्रबन्धक,
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि०
केन्द्रीय प्रशासन कार्यालय,
जमशेदपुर।

श्रमिकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

1. श्री कांति मेहता,
महा सचिव,
भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन,
9 लाजपतराय सेरानी,
कलकत्ता-20।

2. श्री जे० आर० दाश,
महा मंत्री,
बारबिल वर्कर्स यूनियन,
डाकघर बारबिल,
जिला केओझार (उड़ीसा)।

3. श्री वसुदेव अर्जुन गावास,
महा मंत्री,
नेशनल माइन वर्कर्स यूनियन,
करचोरिम-सावारडेम (गोवा)।

4. श्री पी० के० बनर्जी,
महा मंत्री,
नोआमंडी मजदूर यूनियन,
डाकघर नोआमुण्डी,
जिला सिंहभूम (बिहार)।

5. श्री एस० के० सान्याल,
एडवोकेट,
बोरनाला,
नागपुर-13
(महाराष्ट्र)।

6. श्री के० के० सिंहा,
यूनाइटेड सेमेण्ट वर्कर्स यूनियन,
राजभवन,
डाकघर झिकपानी,
जिला सिंहभूम, बिहार।

7. हिन्द मजदूर सभा का एक मनोनीत व्यक्ति।

2. यदि आवश्यक समझा जाए, तो बोर्ड सदस्य के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को भी विनियुक्त कर सकता है। श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) के अवर सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करेंगे।

3. बोर्ड एक गैर-सांविधिक निकाय होगा और उसके कार्य ये होंगे:—

(i) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के कार्य-कलापों के बारे में सलाह देना;

(ii) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के प्रादेशिक संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय करना और उनकी पुनरीक्षा करना; और

(iii) लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के अधीन लौह अयस्क खान श्रमिकों के कल्याण से संबन्धित किसी भी अन्य मामले पर विचार करना।

4. बोर्ड का जीवन तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा और इसकी बैठकें ऐसे स्थान और ऐसे अन्तरालों पर होगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति निम्न-लिखितों को भेजी जाए:—

(1) आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और गोआ, दमन और दीव की सरकारें।

(2) खान और धातु मंत्रालय (खान विभाग) नई दिल्ली।

(3) लौहा और इस्पात मंत्रालय (इस्पात विभाग), नई दिल्ली।

(4) बोर्ड के सभी सदस्य।

(5) नियोजकों और कर्मकारों के सम्बन्धित संगठन।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

नि० प्र० दुबे, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

New Delhi-1, dated the 6th February, 1973

CORRIGENDUM

No. 4/5/72-*AIS(IV)*—In the Department of Personnel's Notification No. 4/5/72-AIS(IV), dated 23rd December 1972 published in Part I Section 1 of the Gazette of India dated the 26th December 1970, the following corrections may be made :—

Reference	Correction
RULES	
Page 1285, Col. 1, sub-para of para 2, line 11	For the word "ScehLduled" *substitute* the word "Scheduled"
Page 1286, Col. 1, rule 5 b, item (i), line 2.	For the word "Schedule" *substitute* the word "Scheduled"
APPENDIX I-A	
Page 1287, item 8 last line	For the word "examined" *Substitute* the word "exempted"
SCHEDULE PART A	
Page 1288, Item (1) General English-line 3.	*Delete* the word "as".
Page 1289, Item (4) Botany-line 5 under sub-item 4 Taxonomy.	For the word "Magnolicee" *substitute* the word "Magnoliaceae"
Page 1290, sub-item(a) in Item 2-Thermodynamics	For the word "Laws 3rd" *substItute* the word "3rd Laws"
Page 1290, sub-item(b) in Item 2-Thermodynamics. Line 1	For the word "etnropy" *substitute* the word "entropy"
Page 1290, sub-item (ii) of item 3-Reaction engineering	*Add* Preparations; Mechanics of Catelysis based upon machanism.
APPENDIX IV	
Page 1293, item 4—The candidate's height will be measured as follows :— line 7.	For the word "vetex" *substitute* "vertex".

M.R. BHARDWAJ,
Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 31st January 1973

*No. A.*11019(3)/72-*Adm.III(LA)*.—In pursuance of sub-section (3) of section 255 of the Income-tax Act, 1961, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs) No. A. 11019(3)/72-Adm.III(LA), dated the 9th January, 1973, the Central Government hereby authorises Shri V. Balasubramanian, Accountant Member of the Income-tax Appellate Tribunal, for the purposes of the said sub-section.

P. B. VENKATASUBRAMANIAN, Jt. Secy. & Legal Adviser

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 12th December 1972

Report of the Khadi and Village Industries Committee

No. 5(18)/72-*KVI(I)*.—By a Resolution No. 19/6/66-KVI(P), dated the 8th June, 1966, the Government of India, in the late Ministry of Commerce set up a Committee under the Chairmanship of Shri Asoka Mehta with terms of reference as under :—

(i) "To assess the progress made in the Khadi and Village Industries since the establishment of the All India Khadi and Village Industries Board in 1953 and to make recommendations to strengthen and expand the progress of Khadi and Village Industries in the country; and

(ii) To suggest any structural or constitutional changes that may be needed inorder to improve coordination between the Khadi and Village Industries Commission on the one hand and the State Khadi and Village Industries Boards on the other, having regard to the experience so far gained in the working of the programmes and in the context of the projected programmes in the Fourth Plan period".

The Second term of reference, as above, was amplified by the Ministry of Commerce Resolution No. 19/6/66-KVI(P), dated the 12th August, 1966 and was substituted by the folllowing :—

"(ii) To suggest any structural or constitutional changes that may be needed in order to improve coordination between the Khadi and Village Industries Commission on the one hand and the State Khadi and Village Industries Boards, cooperative societies and other institutions, on the other, having regard to the experience so far gained in the working of the programmes and in the context of the projected programmes in the Fourth Plan period."

2. In February, 1968, the Committee submitted to the Government its Report. The recommendations made in the Report have been under careful consideration of the Government in consultation with the State Governments and the Khadi & Village Industries Commission.

3. The decisions of the Government on the various recommendations of the Committee are listed in the Annexure to this Resolution. The Government are convinced that the implementation of the recommendations accepted by them will accelerate the pace of development of khadi and village industries, promote employment, provide increased earnings to artisans in rural areas and raise their standard of living and improve rural economy.

ORDER

ORDERED that a copy of Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

ABID HUSSAIN, Jt. Secy.

ANNEXURE

SUMMARY OF CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS OF THE KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES COMMITTEE AND GOVERNMENT'S DECISIONS THEREON

S. No. (1)	*Recommendation* (2)	*Decision of Government* (3)
1.	The basis approach to Khadi and Village Industries programme should be development oriented and should be formulated in the perspective of economic growth and general employment situation in the country. In respect of each of the traditional industries, including Khadi, a seven year programme for progressive improvement of techniques should be worked out with a view to bringing the industries to a viable level. The large number of artisans already engaged in traditional rural industries should be protected against any substantial displacement during the period of transition to higher techniques so that technological unemployment is not aggravated. No encouragement by way of training facilities and other assistance should be given to more persons to enter	Accepted.

(1)	(2)	(3)
those traditional industries which use relatively inferior techniques. For building up the structure of decentralised industries, it is necessary to adopt measure for the provision of socio economic overheads and essential facilities including efficient systems of transport, water and power supply, credit, technical training and advice, etc. in small towns and villages. In specially backward areas and in situations of exceptional difficulty like drought and flood the process of transition to higher techniques may have to be suitably adjusted by providing protective cover to the existing traditional artisans for a somewhat longer period. (Para 2.13).		
2. The basic approach and purpose of the khadi programme should be worked out in terms of three broad objectives and the relative emphasis to be placed on each of them, *viz.* (i) the economic objective of producing a saleable article; (ii) the social objective of providing employment; and (iii) the wider objective of creating self reliance amongst the people and buildingup a strong rural community spirit while none of the three objectives can be ignored, emphasis in future expansion of the khadi programme should be increasingly on organising production in such a way that the element of subsidies either direct or in the form of management grants and free weaving a facilities, is reduced to the minimum possible. This would involve adoption of better techniques of spinning and weaving and reduction of overhead expanses of organisation. (Para 2.14, 2.15)		Accepted in principle but it would be implemented in a phased manner.
3. Provision of employment on a large scale should continue to be an important objective of the khadi programme. The low levels of living in the rural areas, the wide prevalence of conditions of under employment and the need of subsidiary source of income to the rural families make it impreative that the khadi programme should be maintained at an adequate level. All other avenues for providing employment in rural areas should meanwhile be explored. (Para 2.16)		Accepted.
4. Employment in the Khadi programme should not be treated as an end but as an means for increasing the income of rural families. Khadi programme should therefore, provide subsidiary employment to the families of the more needy persons, particularly agricultural labourers and poor tenants, in addition to those of middle and small landowners. The average daily wage provided by the programme should be such as would attract the needy persons to take up hand spinning and weaving. (Para 2.16)		Accepted
5. In regard to the existing programme of khadi which in 1965-66 accounted for a production of about 76 million meteres (cotton khadi), the present approach of placing emphasis on the social objective of providing supplementary employment and the wider objective of creating self-reliance amongst the people and building up a strong rural community spirit should continue. This would involve continuance of the element of subsidy. However, the total financial involvement of the Government should be reduced by organisational and other improvements in the implementation of the programme. (Para 2.19)		Accepted in principle.
6. The present proporation of individual production to the total production is only 4 per cent. It should be increased by a phased programme. (Para 2.19)	self-sufficiency	The present trends do not indicate the immedia of its achievement/realisation.
7. In regard to new khadi programme, *i.e.* further expansion of khadi production the basis approach and purpose can be considered separately for (a) traditional including ambar khadi, and (b) khadi produced from new model charkha. As regards traditional khadi, the approach should be that the whole of the new production taken up in future is on self-sufficiency basis. Regarding khadi from new model charkha, the approach should be to develop it on commercial basis. The element of Government grants, particularly by way of subsidy should be very small. (Para 2.20, 2.21, 2.22)		Accepted.
8. In regard to the village industries programme, it would be advisable to concentrate efforts and resources on the most important industries and to cover a wider area and a larger number of artisans in those industries. There should be free scope for introduction of technological improvements and powers. (Para 2.23)		Accepted.
9. Khadi would continue to have a recognised role as one of the rural industries and while in some areas, it may be the most important among the rural industries, with the development of scientific agriculture and advance of rural electrification, it is possible that khadi may be replaced by other		Decision is deferred and will be taken along with paras 33 to 15 of this Report.

(1)	(2)	(3)
	more paying rural industries like agricultural processing and manufacture of agricultural imputs. Irrespective of one's view about khadi as a permanent programme, it may be agreed that for some time to come it will have a useful role in providing employment in backward rural areas and to backward section of population. We would urge that this concept of rural industries in which khadi could have its due role should be given a concrete expression by effecting the necessary changes in organisation. (Para 4.3.)	
	10. The potentiality of khadi as an instrument for building up self-reliant individuals and communities and for providing the basis of a largescale social and economic transformation in the rural areas needs examination. For, Khadi by itself cannot provide, in the context, of the recurrent approach to economic development the necessary leverage for such transformation. (Para 4.8)	Noted
	11. The Khadi programme cannot be made self-supporting in the sense of its being able to pay its way without the help of subsidies and rebates for khadi programme will have to be continued for some time come, if the programme is to serve its main purpose of providing subsidiary employment to certain sections of the rural people. However the commitment of Government in this regard should not be indeterminate or unlimited. (Para 4.9)	Government are in general agreement with the recommendation of the Committee and feel that the subsidies would have to be reduced in a phased manner.
	12. The emphasis in future should increasingly be on the positive rather than the protective aspects of development assistance. Among the positive kinds of assistance are the grants for training, research and technical advise and assistance and loans for working capital which should be increased according to requirements. Concessional rates of interest on loans should also be allowed for khadi programme.	Accepted.
	13. The quantum of subsidies for the khadi programme should be kept within limits. A ceiling should be fixed to the total amount of Government grants provided annually by way of management grants, sales rebates, subsidies, training, etc. for the traditional khadi (including ambar charkha) programme at Rs. 5.00 crore. This amount would be inclusive of any subsidy that may be required for extension of self-sufficiency khadi in gramdan villages or other suitable areas or through the introduction of one spindle and two spindle charkha or attachments to traditional charkha. (Para 4.9)	Accepted and already implemented.
	14. The programme of new model charkha should be so drawn up that the element of Government subsidy is reduced to the minimum and that production is kept within limits of the capacity of the market to absorb it. Before a large regular programme for the introduction of the new model charkha is approved, a close examination of its economics and organisational aspects should be made by the Commission and the Government. (Para 4.10)	Accepted and implemented.
	15. various proposals and suggestions made for reservation of production of cloth from yarn below 20 counts for khadi for purchase by Government of all surplus hand spun yarn and getting it woven after mixing it with mill yarn for sale, and for the pooling of the prices of cloth produced by mills, handlooms, powerlooms and khadi do not seem to be practicable. (Para 4.11)	Noted
	16. The traditional khadi programme should be oriented towards individuals self-use and village self-sufficiency. Production of khadi for sale should in future be organised with the help of yarn spun on new model charkhas. There should be free scope for introduction of technological improvements and use of power. (Para 4.12, 4.13)	Accepted in principle subject to the exigencies of special circumstances.
	17. There is need for continuous and rapid improvement in the technology adopted for the production of khadi and for organising systematic research for this purpose. Research should be directed towards a well formulated objective. While the general objective should be to maintain the self-employed character of the artisans, the specific objective should be to raise the efficiency of the artisans to enable him to earn a minimum wage and to reduce he price differential between mill cloth, handloom cloth and khadi. The criterion of technological improvement for the future should be increase in productivity over the level attained in the new model charkha. The Government should not separately finance any schemes of improvement in lower technology not conforming to the above criterion. (Para 4.14, 4.15)	Accepted.

(1)	(2)	(3)
18.	For carrying out research in to improved technology of *khadi*, the benefit of expertise and equipment available in the various laboratories and institutions already engaged in this field should be utilised more extensively. Research activities should, in increasing measure, be organised at regional and State levels. (Para 4.16)	Accepted.
19.	Efforts should be made to correlate future expansion of khadi programme with the incidence of unemployment and under-unemployment in all the regions, and before a scheme to develop khadi work in an area is prepared, surveys of local demand and the estimates of production cost should be made. The State Boards should look into the results of such surveys and conditions of local economy in general to arrive at a decision as to whether development of khadi offers the best and the most economical way of providing employment in these areas. (Para 4.17)	Accepted
20.	Khadi programme should be organised and oriented so as to benefit to the maximum extent people in backward areas, tribal and inaccessible areas, famine and drought stricken areas and also the backward and less privileged sections of population, like Harijans, landless agricultural labourers, small tenants etc. As far as possible, khadi activity for these purposes should be developed with the help of the technologically improved instrument. (Para 4.18)	Accepted
21.	Wages for khadi are at present fixed in an *ad-hoc* manner, although they are stated to bear some relation to the wages of local agricultural labour during the off season. Since khadi should be treated as one of the rural industries, the wage for khadi spinner in the expansion programme of khadi based on the introduction of improved tools should be fixed at a level which would provide off season agricultural wages. (Para 4.20)	Accepted
22.	The expenditure incurred by the Commission on providing technical services to the institutions and the administrative expenses of the Commission have to be treated as a part of the expenditure on the programme, but they have to be viewed as grants and, therefore, need not to reflected in the sale price of khadi. Norms should be laid down for overheads in relation to the production and trading activities handled by the Commission. (Para 4.21)	Accepted and already implemented.
23.	Sales rebate at the rate of 10 percent being given at present on silk and wollen khadi with the exception of endi, muga and spun silk and the varieties of woollen cloth for customary use should be reduced progressively and eventually discounted. (Para 4.22)	Accepted in principle and will be implemented in a phased manner.
24.	Two important features of the village industries programmes distinguishing them from the khadi programme, are the larger measure of responsibility entrusted to the State Khadi and Village Industries Boards for their implementation and the preponderant role of cooperative societies (rather than registered institutions) as the field agency for their execution. In respect of some of the village industries, notably palm-gur and palm-leaf products, village leather, fibre products, gas and non-edible oils and soaps, the credit for pioneering work belongs to the Khadi and Village Industries Commission. In relation to the wide range of rural industries and the large number of persons engaged in them, the coverage of the programmes of the Khadi and Village Industries Commission has been very limited. (Para 4.23)	Noted
25.	Village Industries based upon local resources and skill have considerable potential and given proper guidance and continuous improvement in techniques, village industries programmes can help in raising the living standard of the rural community. More comprehensive programmes directed to the key problems of ensuring adequate supply of raw materials, upgrading of skills and techniques and provision of marketing assistance should, therefore, be drawn up with a view to building a firm agro-industrial base for the rural economy. (Para 4.25)	Accepted
26.	The State Rural Industries Boards, in consultation with the Rural Industries Commission, should prepare development programmes for rural industries in each state. The programmes should be based on the maximum utilisation of local resources by self-employed persons who should be trained and enabled to use improved tools and techniques and, wherever possible, small machines and power. Large scale displacement of traditional artisans should, however, be avoided as much as possible. (Para 4.26)	Decision is deferred as it relates to organisational restructuring and will be considered along with the recommendation Nos. 33 to 45 of the Committee.

(1)	(2)	(3)
	27. A Technological Research Institute for Small Industries should be set up to conduct research into problems of appropriate technology for rural industries and to assist and advise the Rural Industries Commission and the State Boards in regard to the solution of technical problems of development of rural industries. (Para 4.27)	Accepted and being implemented.
	28. One of the important steps for achieving dispersal of small industries to rural areas is to provide proper incentives to those interested in setting up these industries. The incentives should be provided mainly in the form of technical assistance, services and special facilities, at the stage of production of marketing and there should not be too much reliance on subsidies. In the case of some industries, further steps by way of reservation pooling arrangements, etc. may be considered necessary. The rural Industries Commission and the State Boards should indentify, various lines and items of production of Rural industries in respect of which assistance and protection in various forms, including reservation of fields of production, pooling arrangements, etc. is required and formulate proposals in this regard. (Para 4.28)	Accepted
	29. A pragmatic approach should be adopted for the selection of rural industries to be promoted in different areas and of the field agency to be used for carrying out the development programmes. Resources of the rural industries programme should be concentrated primarily on the development of such of the rural industries as offer reasonable prospects of becoming viable after a certain period. The field agency used may be either a cooperative society, a registered institution a private entrepreneur or artisans, a village panchayat or a voluntary association depending on what will yield the best results. (Para 4.29)	Accepted
	30. Production in rural industries should be planned as far as possible for consumption within the village or in neighbouring rural areas. Any surpluses arising over and above the local consumption should be sold in other rural and urban areas through sales depots run by the registered institutions or other recognised field agencies. Those rural industries the products of which can be exported outside the country should be given special attention. (Para 4.30)	Noted for future programme guidance.
	31. Effective and urgent steps should be taken to transfer progressively the activities of the existing bhavans and bhandars to registered institutions and other recognised field agencies. (Para 4.31)	Accepted in principles. Commission has been advised to act on it wherever practicable.
	32. As the existing patterns of assistance have tended to become numerous and complex, there is need for rationalising and making them simpler and more workable. (Para 6.21)	Accepted and implemented.
	33. A streamlined organisational set up will be required for the reorientated programmes. At policy and administrative levels, there should be a high degree of coordination and cohension among the various constituents of the organisation so that it can function in a dynamic and purposeful way. Further, to combat mass rural poverty and unemployment and under-employment to mobilise rural resources, both human and material and to increase rural incomes, a somewhat different organisational set up would be needed which would cover all the rural industries, with their scope properly defined, in place of the present limited schedule. (Para 7.1)	Under examination of Government.
	34. In the new organisational set up there should be a Rural Industries Commission at the apex to promote the development of cottage and small industries in the rural areas. This body should be a single comprehensive authority, with necessary powers and resources and charged with the responsibility of rapidly industrialising the rural areas. It should be a statutory body consisting of seven to nine persons nominated by the Government for a period of five years with powers to render advice, undertake and sponsor training and research, and generally to coordinate the implementation of the programme for the development of rural industries. For a limited period of five years, it should also have powers to give financial assistance for approved purposes. After this period is over, grants of financial assistance should be made directly by the Government of India to the State Governments for financing the programmes in their respective States. Institutions whose operations cover more than one State should be required for purposes of financing either to themselves into uni-State institutions or to identify and present separately their activities within the borders of different States (Para 7.2)	Under examination of Government.

(1)	(2)	(3)
	35. The Chairman of the Commission should preferably be a non-official and the members should include an economist, a technical expert, a financial expert and a planning expert with considerable experience of planning of village and small industries. A representative of the administrative Ministry should be a permanent invitee to the meetings of the Commission. (Para 7.2)	Under examination of Government.
	36. The present Khadi and Village Industries Commission should be transformed into the Rural Industries Commission and the necessary steps for this purpose should be initiated by the Government at an early date. (Para 7.2)	Under examination of Government.
	37. The Rural Industries Commission may consider whether it should be assisted by an advisory Board representative, *inter-alia* of the Rural Industries Board and make proposals to the Government in regard to the reconstitutions of All India Khadi and Village Industries Board. (Para 7.3)	Under examination of Government.
	38. Other organisations concerned with the development of rural industries as part of their functions, such as, the Handlooms Board, the Handicrafts Board, the Small Scale Industries Board, the Coir Board, the Central Silk Board and the Agro-industries Corporations should continue to function as expert bodies in their respective fields. It should be the responsibility of the administrative Central Ministry concerned to bring about coordination of approach and programmes among these various organisations and the Rural Industries Commission. For this purpose a Coordinating Committee on which the Commission would be represented should be set up. The administrative Ministry concerned would be responsible to the Parliament for the rural industries sector as a whole at the highest level. (Para 7.4)	Under examination of Government.
	39. After the Khadi and Village Industries Commission is converted into the Rural Industries Commission, the State Khadi and Village Industries Board should similarly be replaced by State Rural Industries Boards. The scope and functions of these Boards should be expanded and enlarged. They will be called upon to undertake duties pertaining to the development of all the rural industries within the State and not merely those included at present in the schedule of the Khadi and Village Industries Commission Act. (Para 7.5)	Under examination of Government.
	40. In constituting the State Rural Industries Boards, special care should be taken to avoid the inadequacies and shortcomings of the State Khadi and Village Industries Boards in the past. The inter-relations between the Rural Industries Commission and the State Rural Industries Boards should be clearly defined. The policies laid down by the proposed Rural Industries Commission for the integrated and coordinated development of rural industries will have to be faithfully implemented by the State Rural Industries Boards through the field agencies, *viz.* registered institutions, cooperatives societies and other field agencies. The State Rural Industries Board should, therefore, be a well-knit and strong organisational unit. (Para 7.6)	Under examination of Government.
	41. The Chairman of the proposed State Rural Industries Board should be the Industries Minister of the State or a non-official and the membership should consist of experts in various fields, such as, finance, administration, economics, planning etc. While the Boards will be directly responsible to the State Governments and State legislatures, adequate guidance and supervision should be provided by the Rural Industries Commission ensuring successful implementation of programmes approved by it. Suitable provisions to ensure this should be incorporated in the legislation to be enacted to replace State Khadi and Village Industries Boards by State Rural Industries Boards. (Para 7.7)	Under examination of Government.
	42. Pending the constitution of the Rural Industries Boards, the question of reconstitution of the existing State Khadi and Village Industries Boards should receive immediate attention of the State Governments so that the membership is reduced to a point where the Board can function more effectively as a small and compact body. (Para 7.8)	Under examination of Government.
	43. The activities of the State Boards should be more effectively coordinated and guided by the Khadi and Village Industries Commission. For this purpose, it is necessary that the Chairman (unless he is the Chief Minister or the Minister incharge), Vice Chairman and Secretary of the State Boards should be appointed in consultation with the Khadi and Village Industries Commission. The Commission should also have the powers to give direction and guidance to the State	Under examination of Government.

(1)	(2)	(3)
	Boards and also to obtain annual reports and audited statement of accounts and if necessary, to inspect and audit accounts. In the event of failure of the State Boards to comply with the advice and directions given by the Commission, it should be open to the Commission to stop further grants to the State Boards. (Para 7.9)	
	44. Progressively over a period of about five years the State Boards should be strengthened to assume full responsibility for the implementation of the programmes in their respective States. This process should be phased so that in the first two years the State Boards are more closely associated with the examination of all the proposals and programmes of the registered institutions and cooperatives. During the next two years, they should not only examine the proposals and programmes but also make their recommendations to the Khadi and Village Industries Commission. The Commission should take necessary steps to ensure that the State Boards are able to assume, at the end of five years full responsibility for the implementation of these programmes in their respective State. (Para 7.10)	Under examination of Government.
	45. The State Rural Industries Boards should have, in relation to the Rural Industries Commission, the same role, rights and obligations as have been recommended above for the State Khadi and Village Industries Boards. Care should be taken to avoid any hiatus legal, statutory administrative, etc. in the relationship between the Rural Industries Commission and the State Rural Industries Boards, as is the case at present with the Khadi and Village Industries Commission and the State Boards. The State Rural Industries Board will continue to be answerable to State legislatures while the Rural Industries Commission would be reporting to the Parliament. Nevertheless, there should be complete coordination between the two and this could be accomplished by making the State Rural Industris Boards amenable to the guidance and direction of the Rural Industries Commission in all matters of importance. (Para 7.11)	Under examination of Government.
	46. For establishing healthy precedents, the members of the Khadi and Village Industries Commission and the State Khadi and Village Industries Board (and the same should apply to the members of the proposed Rural Industries Commission and Rural Industries Boards) should not be actively associated with the functioning of the affiliated registered institutions cooperatives and other field agencies. Similarly, the officials connecttd with these bodies should be debarred from having any interest in the registered institutions, cooperatives and other field agencies. (Para 7.12)	Accepted in principle subject to the qualification that the expression "actively associated" appearing in this para means and covers office bearers including members of the Executive Committee.
	47. The terms and conditions on which funds are provided by the Rural Industries Commission (or the Khadi and Village Industries Commission) should explicitly provided for repayment of loans over a specified period. In the case of loans for fixed capital, the period of repayment might be fairly long, say 15 to 20 years. Working Capital, on the other hand, may be given as a revolving fund linked to levels of production and sale. For meeting other genuine needs of the programmes, only short-term loans should be given. (Para 7.13)	Accepted and action initiated.
	48. Since the ability of the Commission or State Boards or the field agencies concerned to repay the loans would depend on investment funds in the development of industries which are viable both the Rural industries Commission and the State Rural Industries Boards should ensure in drawing up and implementing the programmes that only such industries are taken up for promotional assistance as are likely to yield over a period of time sufficient margin of earnings above costs to meet depreciation charges and a contribution towards repayment of loans with interest thereon. For assessing the viability of different rural industries, the findings and lessons of experience of the 49 Rural Industries Projects which have been operating since 1962-63 may also be utilised. (Para 1.15)	Accepted in principle subject to the special requirements of backward areas and the weaker sections of the community.
	49. One Standing Finance Committee to look after both khadi and village industries should be set up by each State Boards. Till such time as the State Finance Committees are constituted in the State Khadi and Village Industries Boards, all grants to registered institutions, cooperatives and other field agencies exceeding a cerain sum should be made only after a secrutiny has been carried out by at least two members of the State Board. (Para 7.16)	Accepted and being implemented.

50. As in the case of the Khadi and Village Industries Commission the State Boards should also have Financial Advisors appointed by the State Governments who should perform in their respective State Boards functions similar to those laid down for the Financial Adviser of the Khadi and Village Industries Commission. The financial and accounting rules should be identical for the Khadi and Village Industries Commission and the State Boards. Arrangements should be made for accounting personnel to be trained to suit the programmes and to be attached to a group of registered institutions/cooperatives/other field, agencies depending upon the volume of activities. The Financial Advisers should also arrange for the internal audit in their respective spheres to satisfy themselves about proper utilisation of funds. They should also prepare an annual review of Financial Management of the Public Funds for moneys place at their disposal for inclusion in the Annual Report of the Khadi and Village Industries Commission/State Boards submitted to the Parliament/State Legislatures. The internal audit will also help to educate and assist the agencies in the disposal of objections and in bringing serious cases to the notice of the Financial Adviser of the Khadi and Village Industries Commission/State Boards. Audit should, however, not be confined to a voucher check but should ensure that the expenditure is proper and related to performance. (Para 7.18)	Accepted and recommendation communicated to the State Governments, six of whom have already implemented this.
51. In view of the peculiar difficulties of decentralised programmes, the Central Government should consider rationalisation and simplification of the budgeting, accounting and audit procedures. The records at present required to be maintained at the three tiers (the Khadi and Village Industries Commission, the State Boards and the registered institutions, cooperatives) should be reviewed in order to effect simplification, consistently of course with the proper accountability for public funds to the Parliament and the State legislature. (Para 7.19)	Acceped and action initiated
52. The Central Government, should, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, frame suitable financial and accounting rules and prescribe forms and records as well as the form of annual accounts, etc. for uniform adoption by all the registered institutions/cooperatives/other field agencies, on the one hand, and the Khadi and Village Industries Commission and the State Boards, on the other. This should be done with a view to ensuring that the needs of the programmes as well as the requirements for accountability of public funds to the Parliament are adequately safeguarded. (Para 7.20)	Accepted and action initiated.
53. As in the case of the accounts of the Khadi and Village Industries Commission where the Comptroller and Auditor General has to render certified Annual Accounts together with Audit Reports to the Parliament, there should be a uniform provision in the State Boards Acts for the State Accountant Generals to render certified Annual Accounts, together with Audit Report of the respective State Boards to the concerned State Legislatures. For this purpose, the Accountant General should have the right to demand the production of books, accounts, vouchers and other documents in connection with the audit and to inspect any offices of the State Boards. (Para 7.21)	Accepted and substantially implemented.
54. The Sate Boards should be required to observe such terms and conditions as the Commission may, in consultation with State Governments, prescribe in respect of moneys paid by the Commission out of the Consolidated Fund of India to the Boards and the registered institutions/cooperative societies, etc. The registered institutions/cooperative societies which receive moneys from the Consolidated Funds of India should be required, if contingency arises, to produce accounts and other records in respect of such moneys for inspection on demand by any authorised Officer from the Central Government/State Government. (Para 7.22)	Accepted and recommendation communicated to the State Governments.
56. The administrative Ministry should set up a Standing Inter-Department Committee at senior officers' level to provide expert guidance on technical, marketing, financial and accounts problems referred to it by the Commission. The Committee should be serviced by a unit or cell in the administrative Ministry which will collect and analyse all the data needed for the examination of the problems referred to it. While expert guidance referred to above will no doubt be useful, it is necessary that in its day to day working, particularly in such matters as appointment to posts, recruitment rules, etc. the Commission should enjoy sufficient discretion in making decisions. (Para 7.24)	The Ministry of Industrial Development is now incharge of the Khadi & Village Industries Commission and it has set up a separate cell under the Commissioner (Industrial Cooperatives) for giving guidance to the Khadi & Village Industries Commission. In the Commission itself officials of adequate seniority and calibre have been appointed to give internal guidance to its functioning. The suggestion has, therefore, been partially implemented.

(1)	(2)	(3)
56.	Action should be taken to improve the existing arrangements for registration and inspection of the khadi and village industries cooperatives in the State. A Joint. Registrar/ Deputy Registrar of Cooperative Societies should be deputed by the State Government specifically to look after the khadi and Village Industries cooperatives societies, wherever such societies exceed a certain number. (Para 7.25)	Accepted and communicated to the State Governments for action.
57.	The Commission and the State Boards should perform essentially a pioneering, coordinating and promotional role and should not involve themselves directly in the execution of production or sales schemes by settinb up departmental centres. Such centres should be transferred to registered institutions or cooperative societies. The Commission or the State Boards may, however, undertake, when necessary, pilot production/sales schemes with a view to introducing new and improved techniques. (Para 7.26)	Accepted in principle. There may, however, be occasions and areas when it would be necessary for the Commission to directly execute production or sales schemes in the interest of the weaker sections and backward areas.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 5th February 1973

RESOLUTION

No. 3-5/69-*FD*.—The revised composition of the Central Board of Forestry was notified *vide* the Government of India, Ministry of Agriculture Resolution No. 3-5/69-FD, dated 30th May 1972. It has now been decided that Ministers-in-charge of Forests in Goa, Daman and Diu, and Mizoram will be the members of the Central Board of Forestry in place of Lt.-Governors in these Union Territories. Accordingly, the words "Minister-in-charge of Forests" will be substituted for the words "Lt. Governor" against Serial Nos. 25-26 of the Resolution dated 30th May, 1972.

It has also been decided that the Executive Councillor-in-charge of Forests in the Union Territory of Delhi will be a member of the Central Board of Forestry in place of the Lt.-Governor, Delhi. Accordingly, the words "Executive Councillor-in-charge of Forests" will be substituted for the words "Lt.-Governor" appearing against Serial No. 24 of the Resolution dated 30th May, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. P. SINGH, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(Department of Culture)

New Delhi, the 7th February 1973

RESOLUTION

(*Corrigendum to Resolution No. F.* 6-41/69-*IL.II, dated May,* 1969)

No. F. 15-4/72-*L.I.*,—Professor M. Mujeeb, Vice Chairman of the Taraqqui-e-Urdu Board having taken ill, Prof. Abdul Aleem, Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, Aligarh, is appointed to act as Vice Chairman of the Taraqqui-e-Urdu Board until Prof. M. Mujeeb is restored to health.

Other contents of the Resolution remain unchanged.

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution be communicated to all members of the Taraqui-e-Urdu Board; Chairman, University Grants Commission; All Vice Chancellors; Director, Central Hindi Directorate; Prime Minister's Secretariat; Planning Commission; Department of Parliamentary Affairs; Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; President's Secretariat; and all State Governments; Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

S. K. CHATURVEDI, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 2nd February 1973

RESOLUTION

No. EL-II-34(37)71.—To give representation to the Atomic Power Authority on the Northern Regional Electricity Board for achieving close co-ordination in the activities of the Board and the Atomic Energy Units in the region it has been decided to appoint a representative of the Atomic Power Authority as a Member of the Board with immediate effect. In pursuance thereof, para 2 of this Ministry's Resolution No. EL-II.35(3)/63, dated the 13th February, 1964 relating to the composition of the Northern Regional Electricity Board as amended by this Ministry's Resolution No. EL-II-34(27)/66, dated the 5th August, 1966 and No. EL-II-34(45)/66, dated the 13th September, 1967, 12th June, 1968 and 20th September, 1968 and dated 11th December, 1968 and No. EL-II.34(37)/71, dated the 17th June, 1971; 14th September, 1971 and 17th May, 1972 shall be reconstituted as follows :—

(i) The Commissioner for Power Development Department and *ex-officio* Secretary to the Government of Jammu and Kashmir.

(ii) The Chairman, Punjab State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Rajasthan State Electricity Board.

(iv) The Chairman, Uttar Pradesh State Electricity Board.

(v) The Chairman, Delhi Electric Supply Committee.

(vi) The Chairman, Haryana State Electricity Board.

(vii) The Chairman, Bhakra Management Board.

(viii) The Chairman, Himachal Pradesh State Electricity Board.

(ix) The Chief Engineer Incharge of Electricity Works, Chandigarh.

(x) A representative of Atomic Power Authority.

(xi) A representative of the Central Electricity Authority.

(xii) The Member-Secretary.

The Members from Punjab, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Uttar Pradesh and Bhakra Management Board shall be the Chairman for a period of one yer each by rotation.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Government of Jammu & Kashmir, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Haryana, Himachal Pradesh and Union Territory of Delhi and Chandigarh and the Bhakra Management Board, the Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

No. EL-II-34(1)/73.—To give representation to the Atomic Power Authority on the Western Regional Electricity . Board for achieving close co-ordination in the activities of the Board and the Atomic Energy Units in the region it has been decided to appoint representative of the Atomic Energy Authority as a Member of the Board with immediate effect. In pursuance thereof, para 2 of this Ministry's Resolution No. EL-II-35 (2)/63, dated the 28th March, 1964 as amended by this Ministry's Resolution Nos. EL-II-34(5)/64, dated the 10th July, 1967 and No. EL-II-34(15)/67, dated the 14th September, 1967, and No. EL-II-34(29)/68, dated the 28th November, 1969, the Board shall be constituted as follows :—

(i) The Chairman, Gujarat Electricity Board.

(ii) The Chairman, Madhya Pradesh Electricity Board.

(iii) The Chairman, Maharashtra State Electricity Board.

(iv) The Secretary to the Government of Gujarat, Industries, Mines and Power Department.

(v) The Secretary to the Government of Gujarat, Public Works Department.

(vi) The Secretary to the Government of Maharashtra, Industries and Labour Department.

(vii) The Secretary to the Government of Madhya Pradesh, Public Works Department.

(viii) The Chief Engineer, Irrigation & Power Department, Maharashtra.

(ix) The Chief Electrical Engineer of Goa, Daman & Diu.

(x) The Collector, Dadra and Nagar Haveli Administration.

(xi) A representative of Atomic Power Authority.

(xii) A representative of the Central Electricity Authority.

(xiii) The Member-Secretary.

The Members at (i) to (iii) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board by rotation for one year each.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Gujarat, Maharashtra and Madhya Pradesh, Union Territories of Goa, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, the Central Electricity Authority, Western Regional Electricity Board, Central Electricity Board, the Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

No. EL-II-34(2)/73.—To give representation to the Atomic Power Authority on the Southern Regional Electricity Board for achieving close co-ordination in the activities of the Board and the Atomic Energy Units in the region it has been decided to appoint representative of the Atomic Energy Authority as a Member of the Board with immediate effect. In pursuance thereof, para 2 of this Ministry's Resolution No. EL-II-35(1)/63, dated the 7th February, 1964 as amended by this Ministry's Resolution No. EL-II-34(5)/64, dated the 10th July, 1967, shall be constituted as follows :—

(i) The Chairman, Andhra Pradesh State Electricity Board.

(ii) The Chairman, Kerala State Electricity Board.

(iii) The Chairman, Tamil Nadu Electricity Board.

(iv) The Chairman, Mysore State Electricity Board.

(v) The Chief Secretary, Government of Pondicherry.

(vi) A representative of Atomic Power Authority.

(vii) A representative of Central Electricity Authority.

(viii) The Member-Secretary.

The Members at (i) to (iv) above shall be the Chairman of the Regional Electricity Board by cotation in alphabetical orders, everyyear.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to the Governments and State Electricity Boards of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu and Mysore, Ministries of the Government of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. N. VINZE, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 1st February 1973

RESOLUTION

No. U/23011/17/1-M.IV.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Advisory Board for Iron Ore Mines Labour Welfare Fund which was set up in this Ministry's Resolution No. 10/31/68-M.III, dated the 20th December, 1968. The Composition of the reconstituted Board is as follows :—

Chairman

Additional Secretary in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour & Employment)

Members Representing Government

1. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Bihar, Patna.
2. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Madhya Pradesh, Moti Bungalow, M. G. Road, Indore.
3. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Goa, Daman & Diu, Rua St. Tome, Saldanhas Building, Panaji, Goa.
4. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Mysore, No. 7, Infantry Road, Bangalore.
5. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Maharashtra, C/o Director of Mining & Geology, Government of Maharashtra, Nagpur.
6. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Andhra Pradesh, Hyderguda, Hyderabad.
7. Iron Ore Mines Welfare Commissioner, Orissa, Bhubaneshwar.

Members Representing Employers' Organisations

1. Shri O. D. Sharma, Manager (Industrial Relations), National Mineral Development Corporation Limited, Behind 'Gruha-Kalpa', Mukarramjahi Road, Hyderabad (A.P.).
2. Shri P. P. Balakrishnan, Chief (Industrial Relations), Hindustan Steel Ltd., P.O. Hinoo, Ranchi.
3. Shri A. L. Nair, Chairman, The Orissa Mining Corporation Ltd., Bhubaneswar.
4. Shri B. L. Verma, Chief Mining Engineer, The Indian Iron & Steel Co. Ltd., Martin Burn House, 12 Mission Row, Calcutta-1.
5. Shri M. S. Talaulicar, President, Goa Mining Association, Hira Mahal, Dr. Dada Vaidya Road, Panaji Goa.
6. Shri Dharamchand Jain, M.P., M/s. R. McDill & Co. (P) Ltd., Mineral House, 27-A, Camac Street, Calcutta-16.
7. Shri P. T. K. Panicker, Chief Personnel & Welfare Manager, Tata Iron & Steel Co. Ltd., Central Administration Office, Jamshedpur.

Members Representing Workers' Organisations

1. Shri Kanti Mehta, General Secretary, Indian National Mine Workers' Federation, 9 Lajpatrai Serani, Calcutta-20.
2. Shri J. R. Dash, General Secretary, Barbil Workers' Union, P.O. Barbil, Distt. Keonjhar (Orissa).
3. Shri Vasudev Arjun Gavas, General Secretary, National Mine Workers' Union, Curchorem-Savardem (Goa).

4. Shri P. K. Banerjee, General Secretary, Noamundi Mazdur Union, P.O. Noamundi, Distt. Singhbhum (Bihar).

5. Shri S. K. Sanyal, Advocate, Bornala, Nagpur-13, (Maharashtra).

6. Shri K. K. Sinha, United Cement Workers Union, Raj Bhavan, P.O. Jhinkpani, Distt. Singhbhum, Bihar.

7. A nominee of Hind Mazdoor Sabha.

2. The Board may also co-opt any other person as a Member if considered necessary. The Under Secretary in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour & Employment) shall function as Secretary to the Board.

3. The Board will be a non-statutory body and its functions will be :—

(i) To advise on the activities of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund;

(ii) To review and coordinate the activities of the Regional Organisations of the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund; and

(iii) To consider any other matter relevant to the welfare of iron ore mines workers under the Iron Ore Mines Labour Welfare Fund.

4. The life of the Board will be for a period of three years and it will meet at such place and at such interval as it may consider necessary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to :—

(1) The Governments of Andhra Pradesh, Mysore, Madhya Pradesh, Maharashtra, Bihar, Orissa and Goa, Daman & Diu.

(2) The Ministry of Mines and Metals (Deptt. of Mines), New Delhi.

(3) The Ministry of Iron & Steel (Deptt. of Steel), New Delhi.

(4) All Members of the Board.

(5) Employers' and Workers' Organisations concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N. P. DUBE, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973